झारखण्ड सरकार,
वन एवं पर्यावरण विभाग
संकल्प

प्रबं. – 05/2000 – 3658 व०प०, राँची, दिनांक 27 सितंबर, 2001

विषय : *झारखण्ड राज्य के सुरक्षित एवं आरिक्षत एवं आरिक्षत वनों की सुरक्षा एवं इन वनां में रहने वाले ग्रामीणों की आर्थिक उन्नति के लिए संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (ग्राम वन प्रबंधन एवं संरक्षण समिति) के गठन के संबंध में :*

झारखण्ड राज्य के सुरक्षित (प्रोटेक्टेड) एवं आरक्षित (रिजर्व) वन बढ़ती जनसंख्या एवं पालतू पशुओं के दबाव तथा समाजिक आर्थिक परिवेश में अपेक्षित उन्नयन के अभाव में क्रमशः संकुचित, विरल एवं अवकृष्ट होते जा रहे हैं। एक ओर वनों की उत्पादन–क्षमता दिनानुदिन न्यूनतर होती जा रही है, दूसरी ओर स्थानीय ग्रामीणों एवं ग्राम्य जीवन की वनों पर निर्भरता के साथ ही विकास कार्यों के लिए वन–भूमि एवं वन–उत्पादों की आवश्यकता के कारण वनों का प्रभावी आच्छादान क्रमशः अवकृत होता जा रहा है। वन्य प्राणियों के लिये संरंक्षित वन क्षेत्रों यथा वन्य प्राणी आश्रयणी, राष्ट्रीय उद्यान में भी प्रभावी वनाच्छादन के संकुचन अथवा विरलन तथा पालतू पशुओं के दबाव के कारण वन्य प्राणियों के प्राकृतवास क्रमशः विनिष्ट होते जा रहे हैं, फलतः वन्य प्राशियों का अस्तित्व भी विनाश की आशंका से ग्रस्त है।

वनाच्छादन एवं पर्यावरण की निरंतन अवनति की इस व्यापक समस्या पर गहन विचार के उपरान्त सरकार इस निष्कर्ष पर पहुँची कि वनों के प्रबंधन एवं संरक्षण में राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अनुकूल स्थानीय ग्रामीणों एवं जन–निकायों का सक्रिय सहयोग अनिवार्य है। इस क्रम में बिहार सरकार ने राज्य के अवकृष्ट सुरक्षित वनों को जन सहयोग से विकास के प्रयोजन से पूर्व में संकल्प संख्या– 54/90–5244 व०प० दिनांक 09.11.90 निर्गत किया था। इस संकल्प के माध्यम से अवकृष्ट वनों के प्रबंध एवं संरक्षण में स्थानीय ग्रामीणों की सहभागिता हेतु ग्राम वन प्रबंधन एवं संरक्षण समितियों के गठन का निर्णय लिया गया था। परन्तु बदलते परिवेश में उक्त संकल्प का पुनरीक्षण आवश्यक हो गया है। संयुक्त वन प्रबंधन, अर्थात वनों के संरक्षण एवं प्रबंधन में जन–सहभागिता को व्यापक आधार प्रदान करने, इसे पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम–1996 के उपबंधों के अनुरूप बनाने तथा इसके सभी सुरक्षित वनों, आरक्षित वनों एवं संरक्षित वन–क्षेत्रों में विस्तार हेतु झारखण्ड सरकार, बिहर सरकार के उक्त पूर्व संकल्प (संकल्प सं० 54/90–5244 व०प० दिनांक 09.11.90) को अधिक्रमित करते हुए निम्नवत् पुनरीक्षित संकल्प पारित करती है :–

1. राज्य के वनों को निम्नवत दो श्रेणियों में विभक्त किया जाएगा :–
   प्रथम श्रेणी – आरक्षित वन, वन्य प्राणी आश्रयणी एवं राष्ट्रीय उद्यान के वन
   द्वितीय श्रेणी – सुरक्षित वन (वन्य प्राणी आश्रयणी एवं राष्ट्रीय उद्यान में पड़ने वाले वनों को छोड़कर)

2. (i) प्रथम श्रेणी के वनों में स्थित समस्त ग्रामों में तथा उनकी सीमा से 5 कि०मी० की दूरी तक स्थित ऐसे ग्रामों में जिनका प्रभाव उक्त वनों के प्रबंधन पर पड़ता हो, ''ग्राम पारिस्थितिक विकास समिति'' (जिसे आगे ''इको विकास समिति'' के नाम से उल्लेखित किया गाएगा) इस संकल्प के प्रावधानों के अधीन गठित की जाएगी।

   (ii) द्वितीय श्रेणी के किसी वन में अधिकार (राजस्व–अभिलेखों में अभिलिखित) रखनेवाले अधिकार धारको के ग्राम/ग्रामों में ''ग्राम वन प्रबंधन एवं संरक्षण समिति'' (जिसे आगे ''वन समिति'' के नाम से उल्लेखित किया जाएगा) इस संकल्प के प्रावधानों के अधीन गठित की जाएगी।

3. वन समिति/इको विकास समिति का गठन :

   (i) राज्य के ग्रामों में स्थानीय वनरक्षी एवं वनपाल द्वारा ग्रामीणों को संयुक्त वन प्रबंधन के प्रावधानों जैसे ग्रामीणों के अधिकार, कर्त्तव्य, उत्तरदायित्व और संयुक्त प्रबंधन से होनेवाले संभावित लाभ आदि से अवगत

कराया जाएगा। वनपाल के माध्यम से ग्रामीणों की संयुक्त वन प्रबंधन हेतु सहमति की सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय वनों के क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के मुखिया से संबंधित ग्राम/ग्रामों की ग्राम सभा/सभाओं की बैठक आयोजित करने हेतु लिखित अनुरोध किया जाएगा। उक अनुरोध प्राप्त होने पर मुखिया अथवा उनकी अनुपस्थिति में उप मुखिया द्वारा संबंधित ग्राम सभा/सभाओं की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसका सभापतित्व मुखिया, या उनकी अनुपस्थिति में उप–मुखिया, करेंगे। ग्राम पंचायत के विघटित रहने की स्थिति में स्थानीय वनों के क्षेत्र पदाधिकारी स्वयं संबंधित ग्राम/ग्रामों की ग्राम सभा/सभाओं की बैठक संयोजित कर सकेंगे तथा बैठक का सभापतित्व कर सकेंगे। उक्त बैठक विचारोपरान्त आम सहमति से वन समिति/इको विकास समिति के गठन का प्रस्ताव पारित कर सकेगी। उक्त प्रस्ताव पारित होने के साथ ही वन समिति/इको विकास समिति का गठन पूर्ण समझा जाएगा, जिसके सदस्य घटक ग्राम सभा/सभाओं के सभी सदस्य होंगे। तदुपरान्त उक्त बैठक वन समिति/इको विकास समिति की आम सभा के रूप में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सह–सचिव का चुनाय करेगी। निर्वाचित अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष में से किन्हीं एक का महिला होना अनिवार्य होगा।

(ii) वन समिति/इको विकास समिति के गठन की तिथि से एक माह के अधीन अध्यक्ष द्वारा आमसभा बुलाकर कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। इस बैठक में स्थानीय वन क्षेत्र पदाधिकारी, वनपाल एवं वनरक्षी की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

कार्यकारिणी की संरचना निम्नवत् होगी :–

(क) वन समिति/इको विकास समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सह–सचिव कार्यकारिणी के सदस्य एवं क्रमशः अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सह–सचिव होंगे।

(ख) स्थानीय वनपाल कार्यकारिणी के पदेन सदस्य सचिव होंगे।

(ग) स्थानीय वनरक्षी कार्यकारिणी के पदेन सदस्य एवं उप–सचिव होंगे।

(घ) कार्यकारिणी की महिला सदस्यों की न्यूनतम संख्या (अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए) कार्यकारिणी के सदस्यों की कुल संख्या का तृतीयोग होगी। इन महिला सदस्यों में से एक महिला विस्तार कार्यकर्त्ता के रूप में कार्य करेगी जिसका प्रमुख कर्त्तव्य होगा कि वह संबंधित ग्राम की महिलाओं को संयुक्त वन प्रबंधन के प्रावधानों जैसे –महिलाओं के अधिकार–कर्त्तव्य, उत्तरदायित्व एवं संयुक्त वन प्रबंधान से होनेवाले संभावित लाभ के बारे में अवगत कराएँ। यह इसलिए आवश्यक है कि हरियाणा के अरावली प्रोजेक्ट जो कि एक सकल प्रयोग रहा है उसमें इस तरह की व्यवस्था महिलाओं की सहभागिता प्राप्त करने के लिए की गई थी।

(च) परम्परागत मुण्डा, मानकी, माँझी, महतो, पाहन अथवा परगनैत कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे।

(छ) कार्यकारिणी में भूमिहीन सदस्यों की न्युनतम संख्या–2 (दो) होगी।

(ज) घटक ग्राम/ग्रामों के निवासियों में से स्थानीय ग्राम पंचायत के सभी सदस्य कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे।

(झ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति में से प्रत्येक से कार्यकारिणी की न्यूनतम सदस्य संख्या–2 (दो) होगी। उक्त दोनों में से किसी एक समुदाय के उपलब्ध नहीं होने पर दूसरे उपलब्ध समुदाय से न्यूनतम–3 (तीन) कार्यकारिणी सदस्य होंगे। यह न्यूनतम संख्या उप–कंडिका (छ) में वर्णित भुमिहीन सदस्यों की संख्या के अतिरिक्त होगी। यदि उक्त दानों समुदायों में से कोई भी उपलब्ध नही हो तो यह उप–कंडिका क्षान्त समझी जायेगी, यदि अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव द्वारा इस आशय का संयुक्त प्रमाण–पत्र अंकित कर दिया जाय।

(ञ) कार्यकारिणी के सदस्यों की न्यूनतम संख्या–18 (अठारह) तथा अधिकतम संख्या–25 (पच्चीस) होगी।

(iii) **कार्यकाल :** वन समिति/इको विकास समिति के पदेन सदस्यों को छोड़कर कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों, तथा समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सह–सचिव का कार्यकाल कार्यकारिणी के निबंधन की तिथि से दो वर्ष का होगा, यदि इस अवधि में आम सभा अथवा सक्षम पदाधिकारी द्वारा कार्यकारिणी का विघटन/पुनर्गठन नहीं किया गया हो।

(iv) **समिति हेतु वन क्षेत्र का निर्धारण :** वन समिति/इको विकास समिति के गठन के उपरान्त वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा वन समिति/इको विकास समिति से विचार–विमर्श कर वन समिति/इको विकास समिति के क्षेत्राधिकार का निर्धारण किया जाएगा।

4. सहमति पत्र :–

(i) इस संकल्प की कंडिका–3 (i) के अधीन वन समिति/इको विकास समिति के गठन के पश्चात् आम सभा की तत्संबंधी कार्यवाही की मुखिया/उप–मुखिया एवं वनों के क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रति वनों के क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा दस दिनों के अधीन वन प्रमंडल पदाधिकारी को समर्पित की जाएगी तथा समिति के गठन की तिथि के एक माह के अधीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्दिष्ट पदाधिकारी एवं स्थानीय ग्राम पंचायत के मुखिया अथवा सरपंच की उपस्थिति में वन विभाग की ओर से स्थानीय वनों के क्षेत्र पदाधिकारी तथा वन समिति/इको विकास समिति की ओर से अध्यक्ष द्वारा संलग्न प्रपत्र–1 में सहमति पत्र पर 4 प्रतियों में हस्ताक्षर कि जाना अनिवार्य होगा। वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्दिष्ट पदाधिकारी एवं स्थानीय ग्राम पंचायत के मुखिया अथवा सरपंच उक्त सहमति पत्र पर साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करंगे। उक्त सहमति पत्र की एक–एक प्रति वन समिति/इको विकास समिति के सदस्य सचिव, स्थानीय वनों के क्षेत्र पदाधिकारी तथा वन प्रमण्डल पदाधिकारी के कार्यालय में संधारित होगी और एक प्रति समिति के अध्यक्ष के पास रहेगी।

(ii) स्थानीय ग्राम पंचायत के विघटित रहने की स्थिति में वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्दिष्ट पदाधिकारी द्वारा सहमति–पत्र पर इस आश्य का प्रमाण–पत्र अंकित किए जाने के उपरांत मुखिया अथवा सरपंच की उपस्थिति एवं सहमति–पत्र पर उनके हस्ताक्षर की अनिवार्यता इस संकल्प की कंडिका–4 (i) के अधीन नहीं होगी।

5. निबंधन :–

(i) इस संकल्प की कंडिका–3 (i) के अधिन कार्यकारिणी के गठन के उपरांत समिति की आम सभा की तत्संबंधी कार्यवाही की अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित प्रति संलग्न करते हुए सदस्य सचिव द्वारा स्थानीय वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के माध्यम से कार्यकारिणी के निबंधन हेतु अनुरोध पत्र संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी को समर्पित किया जाएगा।

(ii) सदस्य सचिव के उक्त अनुरोध–पत्र को प्राप्ति की तिथि से एक सप्ताह के अधीन वनों के क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी को अग्रसारित किया जाएगा।

(iii) सदस्य सचिव का उक्त अनुरोध–पत्र वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के माध्यम से प्राप्त होने पर प्राप्ति के एक माह के अधीन वन प्रमंडल पदाधिकारी संलग्न प्रपत्र–2 से सभी प्रविष्टियों के उपरांत वन समिति/इको विकास समिति की कार्यकारिणी का निबंधन करते हुए तथा निबंधन संख्या–आबंटित करते हुए उक्त प्रपत्र की स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित प्रति निबंधन प्रमाण–पत्र के रूप में अध्यक्ष, सदस्य–सचिव एवं संबंधित वनों के क्षेत्र पदाधिकारी को उपलब्ध कराएँगे।

6. सूक्ष्म योजना का निर्माण एवं अनुमोदन :–

(i) वन समिति की कार्यकारिणी द्वारा समिति के घटक ग्राम/ग्रामों के समेकित विकास तथा संबद्ध वन/वनों के संरक्षण, प्रबंधन एवं सतत पोष्य विदोहन की एक सामाम्यतः दस वर्षीय सूक्ष्म योजना का प्रारूप

स्थानीय परिस्थितियों, प्राथमिकताओं तथा प्रतिवर्ष आकलित आय के आधार पर संलग्न प्रपत्र–3 में इस प्रकार निर्मित किया जाएगा। सूक्षम योजना तैयार करते समय स्थानीय लोगों को वनों के संरक्षण एवं प्रबंधन से संबंधित ज्ञान का लाभ इस सूक्ष्म योजना के निरूपण में प्राप्त किया जाएगा।

(ii) इको विकास समिति की कार्यकारिणी द्वारा घटक ग्राम/ग्रामों के समेकित विकास तथा संबद्ध वनों के संरक्षण की सामान्यतः दस वर्षीय योजना का प्रारूप प्राथमिकताओं के आधार पर संलग्न प्रपत्र–3–अ में इस प्रकार निर्मित किया जाएगा कि ग्रामीणों की वनों पर निर्भरता क्रमशः न्यूनतर हो सके तथा संबद्ध वन/वनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

(iii) कार्यकारिणी द्वारा निर्मित सूक्षम योजना का प्रारूप वन समिति/इको विकास समिति के अध्यक्ष द्वारा तत्प्रयोजनार्थ बुलायी गयी आम सभा में प्रस्तुत किया जाएगा तथा आम सभा द्वारा विचारोपरान्त सहमति के अनुसार आवश्यक पाए जाने वाले संशोधनों के साथ उक्त सूक्ष्म योजना का प्रारूप आम सहमति से अनुमोदित किया जाएगा।

(iv) वन समिति/इको विकास समिति द्वारा अनुमोदित तथा अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित सुक्ष्म योजना का प्रारूप सदस्य सचिव द्वारा वनों के क्षेत्र पदाधिकारी को समर्पित किया जायेगा, जो प्राप्ति के दो सप्ताह के अधीन मंतव्य के साथ उसे वन प्रमंडल पदाधिकारी को अग्रसारित कर देंगे। वन प्रमंडल पदाधिकारी अपने मंतव्य के साथ यह सूक्ष्म योजना प्राप्ति के दो सप्ताह के अधीन संबंधित वन संरक्षक को समर्पित करेंगे।

(v) विषयगत वन/वनों से संबंधित कार्य–नियोजना के प्रावधानों से भिन्नता नहीं होने की स्थिति में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी तथा वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा अंकित मंतव्यों की समीक्षा के अपरांत तकनीकी दृष्टि से अनिवार्य संशोधनों के साथ वन संरक्षक द्वारा सूक्ष्म योजना का अंतिम अनुमोदन किया जा सकेगा। वन संरक्षक द्वारा प्राप्ति के एक माह के अधीन सूक्ष्म योजना का अनुमोदन किया जाएगा।

(vi) अनुमोदित सूक्ष्म योजना की एक–एक प्रति वन संरक्षक, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी एवं वन समिति/इको विकास समिति के सदस्य सचिव के कार्यालय में संधारित की जाएगी तथा एक प्रति वन समिति/इको विकास समिति के अध्यक्ष के पास रहेगी।

7. वार्षिक कार्य–योजना का निर्माण एवं अनुमोदन :–

(i) इस संकल्प की कंडिका–6 के अधीन निर्मित एवं अनुमोदित सूक्ष्म योजना के परिपालन हेतु कार्यकारिणी द्वारा एक वार्षिक कार्य–योजना (अप्रैल–मार्च) आय–व्यय के आकलन के साथ संलग्न प्रपत्र–4 में निर्मित की जाएगी।

(ii) कार्यकारिणी के सदस्य सचिव आगामी वित्तीय वार्षिक कार्य–योजना को फरवरी माह के अन्त तक निश्चित रूप से वनों के क्षेत्र पदाधिकारी को समर्पित करेंगे, जो प्राप्ति के 2 (दो) सप्ताह के अधीन मंतव्य के साथ उसे वन प्रमंडल पदाधिकारी को अग्रसारित कर देंगे। मार्च के अन्त तक वार्षिक कार्य योजना सक्षम स्तर से अनुमोदति कर दी जाएगी।

(iii) वार्षिक कार्य–योजना की प्रशासनिक सवीकृत एवं उसके अंतिम अनुमोदन की प्रक्रिया वार्षिक परिव्यय के आधार पर निम्नवत् होगी :–

क्रम. सं.	वार्षिक परिव्यय	सक्षम पदाधिकारी
1.	रू० 5 (पाँच) लाख तक	वन प्रमंडल पदाधिकारी
2.	रू० 15 (पन्द्रह) लाख तक	वन सरक्षक
3.	रू० 40 (चालीस) लाख तक	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
4.	रू० 40 (चालीस) लाख से अधिक	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड

8. वन समिति/इको विकास समिति की आम सभा एवं गणपूर्ति :–

(i) वन समिति/इको विकास समिति की आम सभा अध्यक्ष द्वारा बुलायी जायेगी।

(ii) आम सभा की गणपूर्त्ति घटक ग्राम सभा/सभाओं की कुल सदस्य संख्या के दस्वें अंश से होगी। यदि किसी अवसर पर आयोजित आम सभा में गणपूर्त्ति नहीं हो, तो अध्यक्ष द्वारा एक माह के अधीन आम सभा हेतु अगली तिथि तथा समय निर्धारित करते हुए इसका संबंधित ग्राम/ग्रामों की सीमा में व्यापक प्रचार कराया जाएगा। उक्त निर्धारित अगली तिथि को आम सभा के लिये गणपूर्ति की कोई बाध्यता नहीं होगी और उपस्थित समूह द्वारा लिए गए सभी निर्णय आम सभा के निर्णय माने जाएँगे।

(iii) आम सभा का सभापतित्व वन समिति/इको विकास समिति के अध्यक्ष, उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष तथा उन दानों की अनुपस्थिति में किसी अन्य निर्वाचित सभापति द्वारा किया जा सकेगा।

(iv) आम सभा प्रत्येक तीन माह के बाद बुलाई जाएगी तथा इस बैठक में कार्यकारिणी द्वारा किए गये कार्यकलापों की जानकारी आम सभा को दी जायेगी।

(v) लगातार तीन माह तक अध्यक्ष द्वारा आम सभा आयोजित नहीं किये जाने की स्थिति में सदस्य सचिव द्वारा कार्यकारिणी की विशेष बैठक आहूत की जायेगी। कार्यकारिणी उक्त बैठक में आम सभा आहूत करने हेतु सदस्य सचिव को प्राधिकृत कर सकेगी। लगातार चार माह तक आम सभा आयोजित नहीं किए जाने पर वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा कार्यकारिणी को विघटित किया जा सकेगा।

(vi) आम सभा की कार्यवाही से संबंधित अभिलेखों का संधारण सह–सचिव और उनकी अनुपस्थिति में सदस्य सचिव द्वारा किया जाएगा।

9. कार्यकारिणी की बैठक एवं गणपूर्ति :–

कार्यकारिणी की बैठक प्रत्येक माह में कम से कम एक बार अध्यक्ष द्वारा आयोजित की जाएगी। अख्यक्ष द्वारा निरंतर एक माह तक अथवा सदस्य सचिव के लिखित अनुरोध के उपरान्त 10 (दस) दिनों तक कार्यकारिणी की बैठक नहीं बुलाए जाने की स्थिति में सदस्य सचिव द्वारा बैठक आहूत की जा सकेगी। कार्यकारिणी की सभी बैठकों का सभापतित्व अध्यक्ष, उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दानों की अनुपस्थिति में सदस्य सचिव द्वारा किया जाएगा। कार्यकारिणी की किसी बैठक में गण्पूर्ति सदस्यों की आधी संख्या से हो सकेगी। बैठक की कार्यवाही सदस्य सचिव एवं उनकी अनुपस्थिति में सह–सचिव द्वारा संधारित की जायेगी।

10. वन समिति के कर्त्तव्य :–

(i) ग्राम/ग्रामों के समेकित विकास तथा सुरक्षित वन के संरक्षण, संवर्द्धन एवं सतत् पोष्य विदोहन की सूक्ष्म योजना तथा वार्षिक कार्य योजना का निर्माण।

(ii) अनुमोदित सूक्ष्म योजना/वार्षिक कार्य योजना का विधिवत् संपादन सुनिश्चित करना।

(iii) ग्रामीणों की वनों पर निर्भरता में उत्तरोत्तर कमी सुनिश्चित करना।

(iv) वन/वनों एवं वन्य जवों की उपराधियों, आग एवं अतिक्रमणकारियों से सुरक्षा सुनिश्चित करना।

(v) वन सीमा स्तम्भों का संरक्षण एवं अनुरक्षण।

(vi) अनुमोदित सुक्ष्म योजना/वार्षिक कार्य योजना के अनुसार वन/वनों का सतत् पोष्य विदोहन एवं प्राप्त वनोपज का इस संकल्प के प्रावधानों के अनुरूप वितरण, विपण्न तथा विभिन्न निधियों का सृजन सुनिश्चित करना।

(vii) इस संकल्प तथा अन्य वन अधिनियमों एवं उनके अधीन राज्य सरकार द्वारा सृजित नियमों/नियमावलियों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

(viii) वन अपराध अथवा वन भूमि के अतिक्रमण की स्थिति में समय अभिज्ञान, अवैध पातित वन पदार्थ तथा अपराध/अतिक्रमण में प्रयुक्त उपकरण, वाहन, अस्त्र–शस्त्र आदि के अभिग्रहण और अपराधी/अतिक्रमणकारी के प्रग्रहण में पदाधिकारियों को सहयोग देना।

(ix) विधिसम्मत अभियोजनों में यथासम्भव साक्ष्य एवं साक्षी उपलब्ध कराना तथा वन अपराधों के अनुसंधान में सहयोग प्रदान करना।

(x) वन पदाधिकारियों द्वारा दायित्वों के विधिसम्मत निर्वहन में सहयोग प्रदान करना।

(xi) अनुमोदित सूक्ष्म योजना/वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार निधि का समुचित उपयोग एवं आय–व्यय का लेखा–संधारण इस संकल्प के अनुरूप सुनिश्चित करना।

(xii) लघु वन उपज का ग्रामीणों द्वारा ससमय तथा वन/वनों को किसी प्रकार की क्षति के बिना संग्रहण सुनिश्चित करना और सरकार द्वारा यथा निर्धारित विधि अनुसार विपणन सुनिश्चित करना।

(xiii) वनरोपण, रक्षण, संरक्षण एवं वनरोपण से संबंधित अन्य कार्य।

(xiv) वन समिति अपने पक्त सभी कर्त्तव्यों का निर्वाहन कार्यकारिणी के माध्यम से कर सकेगी।

11. इको विकास समिति के कर्त्तव्य :–

1. ग्राम/ग्रामों के समेकित विकास तथा सम्बद्ध आरक्षित वन/संरक्षित वन क्षेत्र के संरक्षण का सूक्ष्म योजना/वार्षिक कार्य योजना निर्मित करना।
2. अनुमोदित सुक्ष्म योजना/ वार्षिक कार्य योजना का विधिवत् सम्पादन सुनिश्चित करना।
3. ग्रामीणों की वनों पर निर्भरता में उत्तरोत्तर कमी सुनिश्चित करना।
4. वन/वनों एवं वन्य जीवों की अपराधियों, आग एवं अतिक्रमण के विरूद्ध सुरक्षा में वन पदाधिकारियों को सहयोग प्रदान करना।
5. वन सीमा स्तम्भों की सुरक्षा।
6. इको विकास समिति को उपलब्ध निधि का अनुमोदित सुक्ष्म योजना/वार्षिक कार्य योजना के अनुसार समुचित उपयोग तथा आय–व्यय का इस संकल्प के अनुरूप लेखा–संधारण सुनिश्चित करना।
7. अघु वन उपज का ग्रामीणों द्वारा विधि–मान्य यथासमय तथा वन/वनों को किसी प्रकार की क्षति के बिना संग्रहण और सरकार द्वारा यथा निर्धारित विधि अनुसार विपणन सुनिश्चित करना।
8. इस संकल्प तथा अन्य वन अधिनियमों एवं उनके अधीन राज्य सरकार द्वारा सृजित नियमों/नियमावलियों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
9. वन अपराध अथवा वन भूमि के अतिक्रमण की स्थिति में ससमय अभिज्ञान, अवैध पातित वन पदार्थ तथा अपराध/अतिक्रमण में प्रयुक्त उपकरण, वाहन, अस्त्र–शस्त्र आदि के अभिग्रहण और अपराधी/अतिक्रमणकारी के प्रग्रहण में वन पदाधिकारियों को सहयोग देना।
10. विधि सम्मत अभियोजनों में यथा यम्भव साक्ष्य एवं साक्षी उपलब्ध कराना तथा वन उपराधों के अनुसंधान में सहयोग प्रदान करना।
11. वन पदाधिकारियों द्वारा दायित्वों के विधिसम्मत निर्वहन में सहयोग प्रदान करना।
12. वनरोपण, रक्षण, संरक्षण एवं वनरोपण से संबंधित अन्य कार्य।
13. इको विकास समिति अपने उक्त सभी कर्त्तव्यों का निर्वहन कार्यकारिणी के माध्यम से कर सकेगी।

12. वन समिति की शक्तियाँ :–

1. इस संकल्प के अधीन उठने वाले दावों के सम्बन्ध में वाद वएं कार्यवाहियों को संस्थित करना और दावों का प्रतिवादन करना।
2. वन समिति द्वारा प्रबंधित वन/वनों में पशु–प्रवेश एवं चराई को विनियमि करना।
3. सुरक्षित वन/वनों के वन समिति द्वारा चराई के लिये निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने वाले अथवा वन समिति द्वारा निर्धारित विनियमनों की अवहेलना कर वन में प्रवेश करनेवाले पशुओं को परिबद्ध करना, 48 घंटे तक रोके रहना तथा पशु–स्वामी से दण्ड की राशि प्राप्ति पर्णी देकर वसूल करना।

4. ऐसे वयक्ति को जो वन समिति की राय में सुरक्षित वन को किसी प्रकार की क्षति पहुँचाने का उत्तरदायी हो, संयुक्त वन प्रबंधन के प्रत्यक्ष लाभों से अपवर्जित करना।

5. वन समिति द्वारा प्रबंधित वन/वनों से सम्बन्धित अभियोजन वाद के प्रशमन का अनुशंसा करना। यद्यपि यह अनुशंसा वाद प्रशमन के लिये सक्षम वन पदाधिकारी पर वाध्यकारी नही होगी, तथापि वन पदाधिकारी किसी अभियोजन वाद को तब तक प्रशमित नहीं कर सकेंगे, जब तक कि उन्हें प्रशमन हेतु समिति की अनुशंसा प्राप्त नहीं हो जाय।

6. वन समिति द्वारा प्रबंधित वन/वनों से सम्बन्धित अपराध प्रतिवेदन प्राप्त होने पर वनपाल द्वारा अध्यक्ष के माध्यम से कार्यकारिणी को अविलम्ब लिखित सूचना देते हुए अपराध एवं अभियोजन के सम्बन्ध में कार्यकारिणी का मंतव्य याचित किया जायेगा। वनपाल से अध्यक्ष को सूचना प्राप्त होने के 7 (सात) दिनों के अधीन कार्यकारिणी अपना मंतव्य वनपाल के माध्यम से वनों के क्षेत्र पदाधिकारी को समर्पित कर सकेगी, जिसकी प्रति वनपाल एवं वनों के क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा अभियोजन प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त निर्धारित समय सीमा के अधीन कार्यकारिणी से मंतव्य प्राप्त नहीं होने की स्थिति में वनपाल एवं वनों के क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा इस आशय की टिप्पणी के साथ अभियोजन प्रतिवेदन अग्रसारित किया जा सकेगा। कार्यकारिणी द्वारा इस आशय की टिप्पणी के साथ अभियोजन प्रतिवेदन में यदि कोई भिन्नता हो तो वन प्रमण्डल पदाधिकारी/सहायक वन संरक्षक द्वारा स्थल जाँच के उपरांत ही अभियोजन प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित किए जाने के सम्बन्ध में वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

7. वन अपराध की सूचना प्राप्त होने पर वन समिति द्वारा वनरक्षी को विधिसम्मत किया हेतु समुचित निदेश दिया जा सकेगा। वनरक्षी द्वारा अपराध के नियंत्रण और संगत अभियोजन की दिशा में अपेक्षित क्रिया नहीं किए जाने की स्थिति में वन समिति द्वारा अपराध की सूचना सह सचिव के माध्यम से वनों के क्षेत्र पदाधिकारी को दी जाएगी।

8. अनुमोदति सूक्ष्म योजना/वार्षिक कार्य योजना के अनुरूप सुरक्षित वन से वन पदार्थो का सतत् पोष्य विदोहन वन विभाग के नियंत्रण में स्वयं करने अथवा वन विभाग से कराने का निग्रय वन समिति ले सकेगी।

9. सूक्ष्म योजना/वार्षिक कार्य योजना के अनुसार विदोहित एवं उपलब्ध वन पदार्थ से वन पदार्थ की उपलब्धता एवं ग्रामीणों की यथार्थ निजी आवश्यकता अनुमोदित सूक्ष्म योजना के आकलन के अनुसार (के आधार पर) ग्रामीणों के मध्य वन पदार्थ का वित्तरण।

10. वन समिति द्वारा प्रबंधित वन/वनों के किसी अंश के गैरवानिकी उपयोग हेतु अपयोजन का प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन प्राप्त होने पर वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा वनों के क्षेत्र पदाधिकारी एवं वनपाल के माध्यम से कार्यकारिणी को अविलंब सूचित करते हुए उसके मंतव्य याचित किया जाएगा, वनपाल द्वारा समिति के अध्यक्ष को लिखित सूचना देते हुए कार्यकारिणी की बैठक अविलंब आहूत किए जाने का अनुरोध किया जाएगा। वनपाल से अध्यक्ष को उक्त सूचना प्राप्त होने की तिथि से 10 (दस) दिनों के अधीन कार्यकारिणी विषयगत प्रस्ताव पर अपना मंतव्य वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के माध्यम से वन प्रमण्डल पदाधिकारिणी को समर्पित कर सकेगी। वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा प्रस्ताव के अग्रसारण के साथ कार्यकारिणी के उक्त मंतव्य की प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त निर्धारित समय सीमा में कार्यकारिणी द्वारा मंतव्य समर्पित नहीं किए जाने की स्थिति में वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा इस आशय की टिप्पणी के साथ प्रस्ताव अग्रसारित किया जा सकेगा।

13. इको विकास समिति की शिक्तियाँ :–

इको विकास समिति कार्यकारिणी के माध्यम से निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी :–

1. इस संकल्प के अधीन उठनेवाले दावों के संबंध में वाद एवं कार्यवाहियाँ संस्थित करना और दावा का प्रतिवाद करना।

2. वन/वनों के सुरक्षा के लिए निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करनेवाले पशुओं को परिबद्ध करना 48 घंटे तक रोके रखना तथा पशु–स्वामी से दण्ड की राशि प्राप्ति–पर्णी देकर वसूल करना।

3. ऐसे वयक्ति को जो इको विकास समिति की राय में वन को किसी प्रकार की क्षति पहुँचाने का उत्तरदायी हो, संयुक्त वन प्रबंधन वन प्रबंधन के प्रत्यक्ष लाभों से अपवर्जित करना।

4. इको विकास समिति द्वारा संरक्षित वन/वनों से संबंधित अभियोजन वाद के प्रशमन की अनुशंसा करना। यद्यपि यह अनुशंसा वाद प्रशमन के लिए सक्षम वन पदाधिकारी पर बाध्यकारी नहीं होगी, तथापि वन दाधिकारी किसी अभियोजन वाद को तब तक प्रशमित नहीं कर सकेंगे जब तक कि उन्हें प्रशमन हेतु इको विकास समिति की अनुशंसा प्राप्त नहीं हो जाए।

5. इको विकास समिति द्वारा संरक्षित वन/वनों से संबंधित अपराध प्रतिवेदन प्राप्त होने पर वनपाल द्वारा अध्यक्ष के माध्यम से कार्यकारिणी को अविलम्ब लिखित सूचना देते हुए अपराध एवं अभियोजन के सम्बन्ध में कार्यकारिणी का मंतव्य याचित किया जाएगा। वनपाल से अध्यक्ष को सूचना प्राप्त होने के 7 (सात) दिनों के अधीन कार्यकारिणी अपना मंतव्य वनपाल के माध्यम से वनों के क्षेत्र पदाधिकारीयों समर्पित कर सकेगी, जिसकी प्रति वनपाल एवं वनों के क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा अभियोजन प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त निर्धारित समय सीमा के अधीन कार्यकारिणी से मंतव्य प्राप्त नही होने की स्थिति में वनपाल एवं वनों के क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा ससमय समर्पित मंतव्य एवं अभियोजन प्रतिवेदन में यदि कोई भिन्नता हो तो वन प्रमंडल पदाधिकारी/सहायक वन संरक्षक द्वारा स्थल जाँच के उपरांत ही अभियोजन प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित किये जाने के सम्बन्ध में वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

6. वन अपराध की सूचना प्राप्त होने पर इको विकास समिति द्वारा वनरक्षी को विधिसम्मत किया हेतु समुचित निर्देश दिया जा सकेगा। वनरक्षी द्वारा अपराध के नियंत्रण एवं संगत अभियोजन की दिशा में अपेक्षित क्रिया नही किये जाने की स्थिति में इको विकास समिति द्वारा अपराध की सूचना सह–सचिव के माध्यम से वनों के क्षेत्र पदाधिकारी को दी जायेगी।

14. वन समिति/इको विकास समिति के पदाधिकारियों के कर्त्तव्य एवं उनकी शक्तियाँ :–

1. आम सभा आयोजित कर कार्यकारिणी का गठन करना।
2. आम सभा एवं कार्यकारिणी की बैठकों को सभापतित्व करना।
3. वन समिति/इको विकास समिति की ओर से इस संकल्प की कंडिका–5 के अधीन सहमति–पत्र पर हस्ताक्षर करना।
4. यथाविहित अन्तराल पर इस संकल्प के अनुरूप वन समिति/इको विकास समिति के सुचारू कार्य–सम्पादन हेतु कार्यकारिणी की बैठक तथा आम–सभा का संयोजन करना।
5. सूक्ष्म योजना/वार्षिक कार्य योजना के प्रावधानों के अधीन कार्यकारिणी के निर्णयानुसार ग्राम–विकास निधि तथा/अथवा वन विकास निधि एवं कार्यकारी निधि का सदस्य सचिव के साथ संयुक्त संचालन करना।
6. व्यय एवं भुगतान के सभी प्रमाणकों, श्रम–पुस्त एवं मापी–पुस्तिकाओं को प्रतिहस्ताक्षरित करना अथवा कार्यकारिणी के किसी सदस्य को इस हेतु मनोनीत एवं प्राधिकृत करना।
7. सूक्ष्म योजना/वार्षिक कार्य योजना का परिपालन सुनिश्चित करना।
8. सभी ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जिनके लिये कार्यकारिणी अथवा आम सभा द्वारा प्राधिकृत अथवा निर्दिष्ट किया जाय।
9. इस संकल्प के अधीन विहत अन्य कृत्यों का सम्पादन।

(क) उपाध्यक्ष :–

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किये जाने पर अध्यक्ष के सभी कृत्यों का सम्पादन करना।
2. कार्यकारिणी अथवा आम सभा द्वारा प्राधिकृत अथवा निर्दिष्ट अन्य कार्यो का सम्पादन।

(ख) सह सचिव :–

1. आम सभा एवं कार्यकारिणी की सभी बैठकों की कार्यवाहियों का सदस्य सचिव की अनुपस्थिति में संधारण करना।
2. कार्यकारिणी अथवा आम सभा द्वारा यथा–निर्दिष्ट एवं प्राधिकृत अन्य कृत्यों का सम्पादन।

15. प्रधान मुख्य वन संरक्षक :–

वन पदाधिकारियों के कर्त्तव्य निम्नानुसार होंगे :–

(क) प्रधान मुख्य वन संरक्षक :–

1. वन समितियों/इको विकास समितियों के कार्यकलाप का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।
2. इस संकल्प की कंडिका–7 के अनुरूप वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन।

(ख) क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक :–

1. वन समितियों/इको विकास समितियों के कार्यकलाप का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।
2. इस संकल्प की कंडिका–7 के अनुरूप वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन।

(ग) वन संरक्षक :–

1. वन समितियों/इको विकास समितियों के कार्यकलाप का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।
2. इस संकल्प की कंडिका–7 के अनुरूप वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन।
3. वन समिति/इको विकास समिति के लेखा के वार्षिक अंकेक्षण हेतु निबंधित अंकेक्षक की नियुक्ति करना तथा अंकेक्षक को पारिश्रमिक भुगतान का आदेश निर्गत करना।

(घ) वन प्रमंडल पदाधिकारी :–

1. वन समितियों/इको विकास समितियों के कार्यकलाप का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।
2. इस संकल्प की कंडिका–7 के अनुरूप वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन।
3. वन समिति/इको विकास समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य–सचिव के पदनामों से राष्ट्रीयकृत सहकारी अधिकोष अथवा डाक–घर में वन विकास निधि ग्राम विकास निधि तथा कार्यकारी निधि के लिए बचत लेखा खोलवाना।
4. वन समिति/इको विकास समिति की कार्यकारिणी का निबंधन करना।
5. वन समिति/इको विकास समिति के सदस्यों को सूक्ष्म योजना बनाने एवं इसके क्रियान्वयन में प्रशिक्षण देना तथा सहयोग प्रदान करना।
6. सूक्ष्म योजना में सम्मिलित कार्य हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करना।
7. वन समिति/इको विकास समिति को उसके कर्त्तव्यों के निष्पादन एवं अनुश्रवण में सहयोग करना एवं उनके आंतरिक मतभेदों के समाधान में सहयोग करना।
8. समाज के कमजोर वर्ग, विशेष तौर पर महिलाओं, की वन समिति/इको विकास समिति के निर्णयों एवं लाभांश में समुचित भागीदारी सुनिश्चित करना।

9. वन समिति की देख रेख में अनुमोदित सूक्ष्म योजना/वार्षिक योजना के अनुरूप वन पदार्थों का विदोहन एवं विपणन सुनिश्चित करना।
10. प्रमंडल के अंतर्गत क्रियाशील सभी वन समितियाँ/इको विकास समितियों के लेखा–सारांश के आधार पर प्रपंजी संधारित करना तथा उनका संकलित लेखा प्रतिवेदन सम्बन्धित वन संरक्षक को समर्पित करना।

(ङ) सहायक वन संरक्षक :–

1. वन समितियों/इको विकास समिति के कार्यकलाप का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।
2. इस संकल्प की कंडिका–12 (vi) एवं 13 (v) के अनुरूप वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किए जाने पर स्थल जाँच करना।
3. इस संकल्प के अधीन वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किये जाने पर निर्देशित कार्य का सम्पादन।

(च) वन क्षेत्र पदाधिकारी :–

1. वन समिति/इको विकास समिति के गठन हेतु ग्रामसभा/ग्राम सभाओं की बैठक के आयोजन हेतु ग्राम पंचायत के मुखिया से अनुरोध करना।
2. कार्यकारिणी के चुनाव का पर्यवेक्षण करना।
3. संलग्न प्रपत्र ''1'' में सहमति पत्र का निष्पादन करना।
4. वन समिति/इको विकास समिति के सदस्यों को सूक्ष्म योजना बनाने एवं इसके क्रियान्वयन में प्रशिक्षण देना तथा सहयोग प्रदान करना।
5. वन समिति/इको विकास समिति के सदस्यों को उसके कर्त्तव्यों के निर्वहन में सहयोग करना एवं उनके आंतरिक मतभेदों के समाधान में सहयोग करना।
6. सूक्ष्म योजना तथा वार्षिक कार्य योजना अपने मंतव्य के साथ वन प्रमंडल पदाधिकारी को अग्रसारित करना।
7. वन समिति/इको समिति को अधिकृत, क्रमांकित एवं पृष्ट संख्या प्रमाणित किए जाने के उपरान्त लेखा पंजी, मापी पुस्तिका एवं श्रमपुस्त निर्गत करना एवं इनका लेखा संधारित करना।
8. वन समिति/इको विकास समिति के सदस्य सचिव द्वारा समर्पित मासिक आय–व्यय लेखा का संधारण एवं विहित प्रपत्र में उनके सारांशका वन प्रमंडल पदाधिकारी को समर्पण।
9. इस संकल्प की कंडिका–16 (ख) (vii) के अधीन प्राधिकृत किए जाने पर सदस्य सचिव के सभी कृत्यों का सम्पादन करना।

(छ) वनपाल :–

1. कार्यकारिणी के चुनाव का पर्यवेक्षण करना।
2. सदस्य–सचिव के रूप में कार्यकारिणी की सभी बैठकों एवं आम सभा की कार्यवाहियों, सूक्ष्म योजना, वार्षिक योजना, मासिक आय–व्यय लेखा एवं अन्य सभी सम्बन्धित अभिलेखों का संधारण करना।
3. मासिक लेखा की प्रतिलिपि अध्यक्ष से प्रतिहस्ताक्षरित एवं कार्यकारिणी से पारित करा कर वनों के क्षेत्र पदाधिकारी को सभी प्रामाणकों के साथ समर्पित करना।
4. वन समिति/इको विकास समिति के सदस्यों को सूक्ष्म योजना बनाने एवं इसके क्रियान्वयन में प्रशिक्षण देना तथा सहयोग प्रदान करना।
5. वन समिति/इको विकास समिति को उसके कर्त्तव्यों के निर्वहन में सहयोग करना एवं उनके आंतरिक मतभेदों के समाधान में सहयोग करना।

6. वन क्षेत्र पदाधिकारी से प्राप्त अधिकृत क्रमांकित एवं पृष्ठ–संख्या–प्रमाणित लेखा पंजी, मापी पुस्तिका एवं श्रम पुस्त में वन समिति/इको विकास समिति की विभिन्न निधियों से सम्बन्धित लेखा का अलग–अलग संधारण करना।
7. वन समिति/इको विकास समिति के अध्यक्ष के साथ वन विकास निधि, ग्राम विकास निधि एवं कार्यकारी निधि के बचन लेखाओं का संयुक्त संचालन करना।
8. वन समिति/इको विकास समिति के कार्य–कलापों से स्थानीय वनों के क्षेत्र पदाधिकारी को निरन्तर अवगत रखना।

(ज) वनरक्षी :–

1. कार्यकारिणी के चुनाव का पर्यवेक्षण करना।
2. अनुमोदित सूक्ष्म योजना के अनुसार वन समिति द्वारा वन उपज के विदोहन एवं वितरण का पर्यवेक्षण करना।
3. वन समिति/इको विकास समिति के सदस्यों को सूक्ष्म योजना बनाने एवं इसके क्रियान्वयन में प्रशिक्षण देना तथा सहयोग प्रदान करना।
4. वन समिति/इको विकास समितिको उसके कर्तव्यों के निष्पादन एवं अनुश्रवण में सहयोग करना एवं उनके आंतरिक मतभेदों के समाधान में सहयोग करना।
5. सदस्य सचिव के प्रतिनिधि के रूप में सुक्ष्म योजना/वार्षिक कार्य योजना प्रावधानों के अधीन कार्यकारिणी अथवा आम सभा द्वारा निर्दिष्ट सभी कार्यो का सम्पादन एवं श्रम–पुस्त का संधारण।
6. सदस्य सचिव की अनुपस्थिति में अथवा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में स्थानीय वनों के क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किए जाने पर लेखा–संधारण, निधि–संचालन एवं कार्यकारिणी/आम सभा की कार्यवाहियों के संधारण को छोड़कर सदस्य सचिव के अन्य सभी विहित कृत्यों को सम्पादन।
7. वन समिति/इको विकास समिति की दैनन्दिनी गतिविधियों तथा कार्यो की दैनिक प्रगति से सदस्य सचिव को निरन्तर अवगत रखना।
8. सदस्य सचिव द्वारा विहित दायित्वों के निर्वहन में यथा वांछित सहयोग प्रदान करना।
9. सदस्य सचिव की अनुपस्थिति में उनकी सहमति से कार्यकारिणी की किसी बैठक में सदस्य सचवि का प्रतिनिधित्व करना।

16. वन पदाधिकारियों की शक्तियाँ :–

(क) वन संरक्षक :–

1. सूक्ष्म योजना का अनुमोदन।
2. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वन समिति/इको विकास समिति का विघटन, उसके किसी दायित्व के विभागीय निष्पादन के निर्णय अथवा किसी राशि के प्रत्यादान के आदेश के विरूद्ध पुनरावेदन कर संबंधित दानों पक्षों को श्रवण का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरांत, निष्पादन।
3. वन संरक्षक द्वारा किसी कार्य के लिए एकक/इकाई दर अनुमोदित/निर्धारित की जा सकेगी।

(ख) वन प्रमंडल पदाधिकारी :–

1. वन समिति/इको विकास समिति के क्षेत्राधिकार का इस संकल्प की कंडिका–3 (4) के अधीन निर्धारण।
2. वार्षिक कार्य योजना का इस संकल्प की कंडिका–7 के अधीन अनुमोदन।
3. वन समिति/इको विकास समिति के लेखा का परीक्षण।
4. वन समिति के सदस्यों के मध्य वन पदार्थ एवं अन्य लाभ के वितरण हेतु बनाए गये नियमों का परिक्षण।

5. इस संकल्प की कंडिका 22(1) के अधीन कार्यकारिणी का विघटन अथवा कंडिका 22 (vi) के अधीन कार्यकारिणी की शक्तियों का वियोजन।

6. वन प्रमण्डल पदाधिकारी किन्हीं विशेष स्थितियों में तात्कालिक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में वन समिति/इको विकास समिति के सदस्य सचिव की सभी शक्तियों के उपयोग एवं कर्तवयों के सम्पादन हेतु वनों के क्षेत्र पदाधिकारी को प्राधिकृत कर सकेंगे। वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा इस प्रकार की किसी व्यवस्था की सूचना तत्काल वन संरक्षक को दी जाएगी।

7. वन प्रमंडल पदाधिकारी स्वयं या अपने स्तर से निर्दिष्ट किसी अन्य पदाधिकारी के माध्यम से किसी वन समिति/इको विकास समिति के लेखा एवं अन्य कार्य–कलापों की जाँच कमी भी कर सकेंगे तथा निधि के दुरूपयोग/गबन के लक्षित होने पर इस संकल्प की कंडिका–20 (xvi) के अधीन क्रिया कर सकेंगे।

(ग) वनों के क्षेत्र में पदाधिकारी :–

1. वन समिति/इको विकास समिति के लेखा का परीक्षण।
2. वन समिति के सदस्यों के मध्य वन पदार्थ एवं अन्य लाभ के वितरण हेतु बनाए गये नियमों का परीक्षण।
3. सदस्य सचिव की अनुपस्थिति में अथवा किन्हीं विशेष परिस्थति में अभिलिखित तथा वन प्रमंडल पदाधिकारी के सदस्य सचिव के लेखा–संधारण, निधि–संचालन एवं आम सभा/कार्यकारिणी की कार्यवाहियों के संधारण को छोड़कर अन्य सभी कृत्यों के सम्पादन हेतु प्राधिकृत कर सकेंगे।

(घ) वनपाल :–

कार्यकारिणी के सदस्य सचिव के रूप में अनुरोध करने पर 10 (दस) दिनों के अन्दर अध्यक्ष द्वारा कार्यकारिणी की बैठक न बुलाये जाने पर स्वयं कार्यकारिणी की बैठक आहूत कर सकेगा।

17. वन पदार्थों का विदोहन, वितरण एवं विपणन :–

1. अनुमोदित सूक्ष्म योजना/वार्षिक कार्य योजना के अनुरूप सुरक्षित वन से वन पदार्थों का सतत् पोष्य विदोहन वन समिति वन विभाग के नियंत्रण में स्वयं कर सकेगी अथवा वन विभाग के माध्यम से करा सकेगी।
2. सुरक्षित वन से विदोहित वन पदार्थ में से सूक्ष्म योजना/वार्षिक कार्य योजना के अनुसार वन समिति के सदस्यों की आकलित निजी आवश्यकताओं की पूर्ति ग्रामीणों में वन समिति के माध्यम से वन पदार्थ विरित किया जाएगा।
3. वितरण के उपरांत अधिशेष वन पदार्थों का विपणन वन विभाग द्वारा किया जा सकेगा। विषणन से प्राप्त शुद्ध लाभ का 90 प्रतिशत लाभांश वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा तीन समान राशियों के अधिकोष–विकर्ष के माध्यम से वन समिति को हसतान्तरित किया जाएगा।
4. आरक्षित वन से वन पदार्थ का विदोहन प्रमंडलीय वन कार्य नियोजना के अनुसार वन विभाग द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार विदोहित वन पदार्थ से विभागीय वनागार के माध्यम से इको विकास समिति के सदस्यों को सूक्ष्म योजना वार्षिक कार्य योजना में आकलित उनकी निजी आवश्यकताओं के अनुसार विभागीय वनागार–दर पर वन पदार्थ की आपूर्ति की जाएगी। अधिशेष वन पदार्थ के विषणन से प्राप्त होने वाले शुद्ध लाभ का वन कार्य–नियोजन में यथा–निर्धारित लाभांश वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा अधिकोष–विकर्ष के माध्यम से इको विकास समिति को उपलब्ध कराया जाएगा। इको विकास समिति को इस प्रकार प्राप्त राशि का तीन चतुर्थाश (75 प्रतिशत) ग्राम–विकास निधि में तथा शेष एक चतुर्थाश (25 प्रतिशत) कार्यकारी निधि में संचित होगा।
5. अनुमोदित सूक्ष्म योजना में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ही विपणन पर व्यय किया जा सकेगा।
6. वन पदार्थों के विपणन से प्राप्त राशि में से अंकेक्षण पर होने वाले व्यय का वहन किया जाएगा।

18. वन समिति की निधियों का सृजन :–

1. वन प्रमंडल पदाधिकारी से प्राप्त हुए विपणन के शुद्ध लाभांश (90 प्रतिशत) की राशि को तीन समान अंशों में विभाजित कर तीन अलग–अलग निधियों नामतः ग्राम विकास निधि, वन विकास निधि तथा कार्यकारी निधि सृजित की जाएगी, जो किसी राष्ट्रीयकृत अधिकोष, सहकारी अधिकोष अथवा डाक–घर में समिति के अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव के पदनामों से तीन अलग–अलग संयुक्त बचत–लेखाओं में धारित होगी। इन संयुक्त बजत लेखाओं को वन प्रमंडल पदाधिकारी के संलग्न प्रपत्र–5 में लिखित अनुरोध से प्रपत्र में अंकित शर्तों के अधीन खोला जा सकेगा।
2. ग्राम विकास निधि, सूक्ष्म योजना/वार्षिक कार्य–योजना के अनुसार, ग्राम विकास के कार्यो पर व्यय के निमित होगी।
3. वन विकास निधि सुक्ष्म योजना/वार्षिक कार्य–योजना के अनुसार, वन विकास एवं संरक्षण के कार्यो पर व्यय के निमित्त होगी।
4. कार्यकारी निधि सुक्ष्म योजना/वार्षिक कार्य–योजना के अनुसार सदस्यों के लाभांश वितरण तथा/अथवा अन्य व्ययों के वहन के निमित्त होगी। इस निधि का उपयोग कार्यकारिणी द्वारा किसी प्राकृतिक विपदा में ग्रामीणों के लाभार्थ अथवा विपदा–ग्रस्त ग्रामीणों को ब्याज–मुक्त ऋण के लिए भी किया जा सकेगा।
5. इस संकल्प की कंडिका–5 के अधीन सम्पादित सहमति पत्र की शर्तो का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वन समिति के बचत लेखाओं से राशि की निकासी को राष्ट्रीयकृत अधिकोष, सहकारी अधिकोष अथवा डाकघर को लिखित सूचना देकर अवरूद्ध कराया जा सकेगा।
6. वन समिति द्वारा प्रबंधित वन/वनों से संबंधित किसी ऐसे वाद के प्रशमन से जिसके अभिज्ञान एवं अभियोजन में समिति की स्पष्ट सकारात्मक भूमिका रही हो, प्राप्त राशि का आधा भाग (50 प्रतिशत) सम्बन्धित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वन समिति की ग्राम–विकास निधि में अधिकोष विकर्ष के माध्यम से संचित कर दिया जायगा।
7. इस संकल्प की कंडिका–12 (iii) के अधीन सभी प्राप्तियाँ ग्राम विकास निधि में संचित होगी।
8. लघु वन पदार्थ के विपणन से वन समिति को होने वाली आय को वन समिति के सम्बन्धित बचत लेखाओं में अधिकोष विकर्ष द्वारा संचित किया जा सकेगा।
9. वन समिति द्वारा प्रबंधित वन/वनों के किसी अंश के वन संरक्षण धिनियम 1980 के अधीन अपयोजन के उपरांत उपयोगकर्त्ता अभिकरण से प्राप्त होने वाली शुद्ध वर्त्तमान मूल्य (नेट वैल्यू) की राशि का पंचमाश (20 प्रतिशत) तथा वन पदार्थो के प्राप्त मूल्य का 9 (नौ) दसमाश (90 प्रतिशत) वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा अधिकोष विकर्ष के माध्यम से वन समिति को भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान की गई राशि तीन समान अंशों में ग्राम विकास निधि एवं कार्यकारी निधि में संचित होगी।
10. यदि वन समिति को किसी अन्य श्रोत से वन विकास या ग्राम विकास के लिए निधि प्राप्त होती है तो उसे सम्बंधित बचत लेखाओं में संचित किया जा सकेगा।
11. वन समिति के आय–व्यय के लेखा के वार्षिक अंकेक्षण पर होने वाले व्यय का वहन कार्यकारी निधि से किया जाएगा।

19. इको विकास समिति की निधियों का सृजन :–

1. वन प्रमंडल पदाधिकारी के संलग्न प्रपत्र–5 में लिखित अनुरोध पर किसी राष्ट्रीयकृत अधिकोष, सहकारी अधिकोष अथवा डाकघर में इको विकास समिति के अध्यक्ष तथा सदस्य–सचिव के पदनामों से ग्राम विकास निधि एवं कार्यकारी निधि के लिये दो अलग–अलग संयुक्त बचत लेखा प्रपत्र में अंकित शर्तो के अधीन खोले जा सकेंगे।

2. आरक्षित वन से विदोहित वन पदार्थ के विपणन से प्राप्त शुद्ध लाभांश के रूप में वन प्रमंडल पदाधिकारी से अधिकोष विकर्ष द्वारा प्राप्त हुई राशि का तीन चतुर्थांश (25 प्रतिशत) कार्यकारी निधि में संचित किया जायेगा।

3. ग्राम विकास निधि, सूक्ष्म योजना / वार्षिक कार्य योजना के अनुसार–विकास के कार्यो पर व्यय के निमित्त होगी।

4. कार्यकारी निधि, सूक्ष्म योजना / वार्षिक कार्य योजना के अनुसार सदस्यों के लाभांश तथा / अथवा अन्य व्ययों के वहन के निमित होगी। इस निधी का उपयोग कार्यकारिणी द्वारा किसी प्राकृतिक विपदा में ग्रामीणों के लाभार्थ अथवा विपदा–ग्रस्त ग्रामीणों को ब्याज–मुक्त ऋण के लिये भी किया जा सकेगा।

5. इस संकल्प की कंडिका–5 के अधीन सम्पादित सहमति पत्र की शर्तो का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा इको विकास समिति के बचत लेखाओं से राशि की निकासी को राष्ट्रीयकृत अधिकोष, सहकारी अधिकोष अथवा डाकघर को लिखित सूचना देकर अवरूद्ध कराया जा सकेगा।

6. इको विकास समिति द्वारा संरक्षित वन / वनों से सम्बंधित किसी ऐसे वाद के प्रशमन से जिसके अभिज्ञान एवं अभियोजन में समिति की स्पष्ट सकारात्मक भूमिका रही हो, प्राप्त राशि का आधा भाग (50 प्रतिशत) सम्बंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा इको विकास समिति की ग्राम–विकास निधि में अधिकोष विकर्ष के माध्यम से संचित कर दिया जाएगा।

7. इस संकल्प की कंडिका–13 (2) के अधीन सभी प्राप्तियाँ समिति की ग्रा–विकास निधि में संचित होगी।

8. लघु वन पदार्थ के विपणन से इको विकास समिति को होने वाली आय को समान अंशों में इको विकास समिति की ग्राम विकास निधि एवं कार्यकारी निधि में अधिकोष विकर्ष द्वारा संचित किया जा सकेगा।

9. इको विकास समिति द्वारा संरक्षित वन / वनों के किसी अंश के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अधीन उपयोजन के उपरांत उपयोगकर्त्ता अभिकरण से प्राप्त होने वाली शुद्ध वर्तमान मूल्य (नेट प्रजेन्ट वैल्यू) की विकास समिति को भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान की गयी राशि समान अंशों में ग्राम विकास निधि एवं कार्यकारी निधि में संचित किया जा सकेगा।

10. यदि इको विकास समिति को किसी अन्य श्रोत से ग्राम विकास के लिये निधि प्राप्त होती है तो उसे संबंधित बचत खाते में संचित किया जा सकेगा।

11. यदि इको विकास समिति के आय–व्यय के लेखा के वार्षिक अंकेक्षण पर होने वाले व्यय का वहन कार्यकारी निधि से किया जाएगा।

20. लेखा

1. अनुमोदित सूक्ष्म योजना के अनुरूप विदोहन अथवा विपणन कार्यो के सम्पादन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी के पदनाम से किसी राष्ट्रीयकृत अधिकोष में एक बचत लेखा खोला जाएगा। इस लेखाओं में वन पदार्थ के विपणन से प्राप्त राशि संचित की जाएगी। विदोहन / विपणन एवं लेखा के अंकेक्षण पर सूक्ष्म योजना के अनुसार होनेवाले व्यय का वहन इस लेखा से किया जाएगा तथा वन पदार्थ के विपणन से हुए शुद्ध लाभ में से राज्य सरकार का दसमांश (दस प्रतिशत) लाभांश रास्व मद में जमा कर शेष शुद्ध लाभ की राशि का भुगतान वन समिति को कंडिका 18 (1) के अनुसार किया जाएगा। इको विकास समिति को कार्य योजना में यथा निर्धारित लाभांश का भुगतान कर शेष राशि सरकार के राजस्व के रूप में कोषागार में संचित कर दी जाएगी।

2. इन बचत लेखाओं का विवरण प्रमंडलीय कार्यालय में वन समितिवार / इको विकास समितिवार संधारित किया जाएगा।

3. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वन समिति / इको विकास समिति को लाभांश का भुगतान करते समय विदोहन अथवा विपणन पर किये गये व्यय का विवरण वन समिति / इको विकास समिति को दिया जाएगा।

4. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा संलग्न प्रपत्र–5 में लिखित अनुरोध किये जाने पर किसी राष्ट्रीय/सहकारी अधिकोष अथवा डाक–घर में वन समिति/इको विकास समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के पदनामों से प्रपत्र के उपबंधों के अधीन बचत लेखा खोला जा सकेगा, जो अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित हो सकेगा।

5. वन विकास निधि, ग्राम विकास निधि तथा कार्यक्रारी निधि के लिए अलग–अलग बचत लेखा जाएँगे। सूक्ष्म योजना/वार्षिक कार्य योजना के प्रावधानों के अधीन कार्यकारिणी के निर्णयानुसार वन समिति/इको विकास समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से इन लेखाओं से राशि की निकासी की जा सकेगी। इस प्रकार निकासी की गई राशि व्यय/उपयोग होने तक सदस्य सचिव की अभिरक्षा में रहेगी।

6. सभी प्राप्तियों एवं व्यय का मासिक लेखा वन समिति/इको विकास समिति के सचिव द्वारा संधारित किया जाएगा।

7. वन समिति के सदस्य द्वारा ग्राम विकास निधि, वन विकास निधि एवं कार्यकारी निधि से संबंधित तीन अलग–अलग मासिक लेखा संधारित किये जाएँगे। इको विकास समिति के सदस्य–सचिव द्वारा दो लेखा नामतः ग्राम विकास निधि एवं कार्यकारी निधि संधारित होंगे, जिसमें सभी आय–व्ययों की प्रविष्टी की जाएगी।

8. प्रत्येक माह का मासिक लेखा सदस्य सचिव द्वारा कार्यकारिणी की आगामी मासिक बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा जिसे, समीक्षोपरान्त कार्यकारिणी द्वारा पारित किया जा सकेगा।

9. यदि कार्यकारिणी द्वारा मासिक लेखा पारित नहीं किया जाय तो वन क्षेत्र पदाधिकारी जाँच–पड़ताल कर मंतव्य के साथ ऐसे लेखा को वन प्रमंडल पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। लेखा के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।

10. व्यय एवं भुगतान का प्रत्येक प्रमाणक, श्रम–पुस्त एवं मापी–पुस्तिका वन समिति/इको विकास समिति के अध्यक्ष, अथवा अध्यक्ष द्वारा तदर्थ मनोनीत किसी कार्यकारिणी सदस्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना अनिवार्य होगा।

11. वन समिति/इको विकास समिति की कार्यकारिणी द्वारा सदस्य–सचिव को लेखा संधारण एवं अन्य अभिलेखों के संधारण में सहायता हेतु एक उपयुक्त सहायक की सेवा उपलब्ध करायी जाएगी तथा इस प्रयोजन हेतु किया जाने वाला व्यय कार्यकारी निधि से विकलनीय होगा।

12. लेखा के संधारण हेतु प्रपत्र का स्वरूप वही होगा, जिसमें वर्तमान में वन विभाग में प्रक्षेत्र–लेखा का संधारण किया जाता है, एवं यह लेखा वनों के क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा अधिकृत क्रमांकित एवं पृष्ठ संख्या–प्रमाणित किसी लेखा–पंजी में संधारित हो सकेगा।

13. वन समिति/इको विकास समिति द्वारा कार्यो के सम्पादन में प्रयुक्त श्रम–पुस्त एवं मापी–पुस्तिका का स्वरूप वही होगा जा वर्त्तमान में वन विभाग में प्रयुक्त श्रमपुस्त अथवा मापी पुस्तिकाओं का है। प्रत्येक वन समिति/इको विकास समिति द्वारा आवश्यकतानुसार लेखा पंजी, मापी–पुस्तिकाएं एवं श्रम–पुस्त क्रय/निर्मित/टंकित/मुद्रित कराकर वन प्रक्षेत्र कार्यालय में समर्पित की जाएगी तथा वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के हस्ताक्षर से अधिकृत, क्रमांकित एवं पृष्ट संख्या प्रमाणित किए जाने के उपरांत वन प्रक्षेत्र कार्यालय से वन समिति/इको विकास समिति की माँग के अनुसार निर्गत की जाएगी। सभी प्राप्त एवं निर्गत लेखा–पंजियों, मापी–पुस्तिकाओं एवं श्रम पुस्तों का लेखा वनों के क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा संधारित होगा।

14. कार्यकारिणी द्वारा पारित मासिक लेखा की अध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्ष्ज्ञरित प्रतिलिपि सदस्य सचिव द्वारा स्थानीय वनों के क्षेत्र पदाधिकारी को सभी प्रमाणकों के साथ अगामी माह की 15 तारीख तक समर्पित कर दी जाएगी। सदस्य सचिव द्वारा मासिक लेखा तथा मासिक लेखा की प्रतिलिपि पर इस आश्य का प्रमाण–पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा कि लेखा को कार्यकारिणी द्वारा पारित किया गया है।

15. वनों के क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा उन्हें समर्पित सभी मासिक लेखाओं का सारांश समितिवार एवं निधिवार संलग्न प्रपत्र–6 में संकलित कर वन प्रमंडल पदाधिकारी को आगामी मासान्त तक समर्पित कर दिया जाएगा।

16. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा लेखा की जाँच स्वयं की जा सकेगी अथवा किसी अधीनस्थ पदाधिकारी को जाँच हेतु निर्दिष्ट किया जा सकेगा। निधि का दुरूपयोग/गबन होने पर सामान्यतः सदस्य सचिव एवं अध्यक्ष समान रूप से उत्तरदायी होंगे तथा दुरूपयोग/गबन की गई राशि उनसे समानतः वसूलनीय होगी। तथापि वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वनों के क्षेत्र पदाधिकारी से अन्यून किसी अन्य वन पदाधिकारी को प्रकरण की विस्तृत जाँच एवं सभी संबंधित पक्षों के श्रवण का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरांत राशि के विषयगत दुयपयोग गबन का उत्तरदायित्व निर्धरित करने हेतु निर्दिष्ट किया जा सकेगा। जाँच–प्रतिवेदन के आधार पर सदस्य सचिव (वनपाल) से राशि के प्रयादान हेतु विभागीय प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा तथा अध्यक्ष के प्रत्यादान का आदेश वन प्रमंडल पदाधिकारी निर्गत कर सकेंगे। वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रत्यादान–आदेश की राशि लोक अभियाचन प्रत्यादान अधिनियम (पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट) के अधीन प्रमाण पत्र वाद के माध्यम से लम्बित भू–राजस्व के रूप में प्राप्त की जा सकेगी। वन प्रमंडल पदाधिकारी के प्रत्यादान–आदेश के विरूद्ध आदेश की तिथि से दो सप्ताह के अधीन संबंधित वन संरक्षक के समक्ष पुनरावेदन समर्पित किया जा सकेगा तथा वन संरक्षक का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

17. सम्पूर्ण लेखा अथवा उसके किसी अंश पर वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा की जानेवाली आपत्ति का निराकरण वन समिति/इको विकास समिति द्वारा किया जाएगा। ऐसी किसी आपत्ति के संबंध में वन प्रमंडल पदाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

18. वन प्रमंडल पदाधिकारी के स्तर पर संलग्न प्रपत्र–7 में निर्मित पंजी में विभिन्न वन समितियों/इको विकास समितियों का प्राप्त हुई निधि एवं समति द्वारा किये गये व्यय का ब्योरा संधारित किया जाएगा। इस पंजी के आधार पर संलग्न प्रपत्र–8 में वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वन संरक्षक को त्रैमासिक प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

21. अंकेक्षण :–

1. वन समिति/इको विकास समिति के लेखा तथा वनों के क्षेत्र पदाधिकारी/वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन हेतु संधारित लेखा का वार्षिक अंकेक्षण निबंधित अंकेक्षक द्वारा कराया जाएगा।
2. सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा निबंधित अंकेक्षक की नियुक्ति की जा सकेगी एवं अंकेक्षक को पारिश्रमिक भुगतान करने का आदेश दिया जा सकेगा।
3. अंकेक्षण प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक, वन प्रमंडल पदाधिकारी, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी एवं वन समिति/इको विकास समिति के अध्यक्ष को समर्पित किया जाएगा।

22. कार्यकारिणी का विघटन एवं शक्तियों का वियोजन :–

1. किसी वन समिति/इको विकास समिति द्वारा इस संकल्प के उपबंधों का पालन नहीं किए जाने, किसी अनियमित कार्य–कलाप में अन्तर्लिप्त होने, ग्राम/ग्रामों अथवा वन/वनों के विकास एवं संवर्द्धन के उद्देश्यों में विफल रहने, सूक्ष्म योजना वार्षिक कार्य योजना का परिपालन नहीं किए जाने अथवा वित्तीय अनियमितता की स्थिति में वन प्रमंडल पदाधिकारी की लिखित चेतावनी के उपरांत भी गतिविधियों में अपेक्षित सुधार नहीं किए जाने पर वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वन समिति/इको विकास समिति को अध्यक्ष/उपाध्यक्ष अथवा कार्यकारिणी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य के माध्यम से श्रवण एवं अपने पक्ष की प्रस्तुति का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत कार्यकारिणी को विघटित करने का निर्णय लिया जा सकेगा।
2. उक्त विघटन के उपरांत कार्यकारिणी का निबंधन स्वतः निरस्त हो जाएगा तथा वन समिति/इको विकास समिति के सदस्यों की अनुमोदित सूक्ष्म योजना में दर्शाये गये लाभों अथवा संयुक्त वन प्रबंधन के अन्य लाभों के लिये पात्रता भी स्वतः समाप्त हो जाएगी।

3. इस प्रकार के निर्णय के साथ कारणों का स्पष्ट उल्लेख आवश्यक होगा और निर्णय के एक सप्ताह के अधीन वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्णय की सूचना वन संरक्षक को दिया जाना अनिवार्य होगा।

4. विघटन के निर्णय के एक माह के अधीन वन समिति/इको विकास समिति द्वारा अध्यक्ष के माध्यम से ऐसे निर्णय के विरूद्ध वन संरक्षक के समक्ष पुनरावेदन समर्पित किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में वन संरक्षक का निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

5. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा विघटन के आदेश, अथवा विहित अवधि में पुनरावेदन की स्थिति में वन संरक्षक द्वारा उक्त आदेश की सम्पुष्टि की तिथि से तीन माह के अधीन वन समिति/इको विकास समिति की कार्यकारिणी का पुर्नगठन सुनिश्चित करना आम सभा, स्थानीय वनों के क्षेत्र पदाधिकारी एवं वनपाल का दायित्व होगा।

6. यदि वन समिति/इको विकास समिति द्वारा इस संकल्प के अधीन वनों के प्रबंधन/संरक्षण के निर्धारित दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया जाता है तो वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वनों के प्रबंध/संरक्षण के किसी अथवा सभी दायित्वों एवं कर्तव्यों के विभागीय की व्यवस्था की जाएगी। वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा इस प्रकार के किसी निर्णय हेतु कारणों का उल्लेख करते हुए लिखित आदेश निर्गत किया जाएगा और वन समिति/इको विकास समिति को उक्त आदेश की प्रति सदस्य सचिव के माध्यम से हस्तगत कराई जाएगी। वन समिति/इको विकास समिति उक्त आदेश की प्राप्ति से दो सप्ताह के अधीन संबंधित वन संरक्षक के समक्ष अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सह–सचिव के माध्यम से पुनरावेदन समर्पित कर सकेगी। वन संरक्षक का निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस सर्वएाधारण के सूचनार्थ झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशित किया जाय तथा संबंधितों को इसकी प्रति प्रेषित की जाय।

झारखण्ड राजयपाल के आदेश से,
ह०/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – प्रबंधन–05/2000–3658 व०प०, राँची, दिनांक 27 सितम्बर, 2001

प्रतिलिपि अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को प्रकाशनार्थ तथा इसकी 1000 प्रतियाँ वन एवं पर्यावरण विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – प्रबंधन–05/2000–3658 व०प०, राँची, दिनांक 27 सितम्बर, 2001

प्रतिलिपि महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/मुख्य मंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची एवं वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – प्रबंधन–05/2000–3658 व०प०, राँची, दिनांक 27 सितम्बर, 2001

प्रतिलिपि – प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/सभी मुख्य वन संरक्षक/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षकएवं सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

प्रपत्र – 1

संयुक्त वन प्रबंधन हेतु झारखण्ड के राज्यपाल और ग्राम वन प्रबंधन एवं संरक्षण समिति (वन समिति) ग्राम पारिस्थतिक विकास समिति (इको विकास समिति) के मध्य परस्पर सहमति का

अनुबंध – पत्र

आज दिनांक .... माह .... सन् .... को एक पक्ष में झारखण्ड के राज्यपाल और दूसरे पक्ष में .... ग्राम वन प्रबंधन एवं संरक्षण/ग्राम पारिस्थतिक विकास समिति (जिसे आगे वन समिति/इको विकास समिति के नाम से उल्लेखित किया जाएगा) के मध्य यह समिति–पत्र अनुबंधित किया गया। चुँकि वन समिति/इको विकास समिति संलग्न अनुसूचि में अंकित सुरक्षित/आरक्षितवन/वनों के झारखण्ड सरकार के संगल्प संख्या .... के उपबंधों के अनुसार प्रबंधन एवं संरक्षण हेतु सहमत है, और चूँकि वन प्रमंडल पदाधिकारी .... वन प्रमंडल ने ऐसी जाँच, जैसी कि पर्याप्त और उचित समझी गई करने के पश्चात् अपना समाधान कर लिया है और चूँकि वन प्रमंडल पदाधिकारी और वन समिति/इको विकास समिति अनुब्रध हेतु नीचे दिए गये पारस्परिक आश्वासनों और वचनबद्धता से सहमत हो गए हैं, अनुबंध निम्न प्रकार साक्षित है :–

1. यह कि वन समिति/इको विकास समिति संलग्न अनुसूची में वर्णित सुरक्षित/आरक्षित वन/वनों का राज्य सरकार के संकल्प संख्या .... ओर समय–समय पर इस संबंध में झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत किए जाने वाले अन्य अनुदेशों के अनुसर प्रबंधन एवं संरक्षण करने हेतु सहमत है।

2. यह कि अनुबन्धित उभय पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित होने की तिथि से पाँच वर्षो के लिये विधि–मान्य होगा और इस अनुबंध की अवधि का विस्तार उभय पक्षों की परस्पर सहमति से किया जा सकेगा।

3. यह कि वन समिति/इको विकास समिति राज्य सरकार के संकल्प संख्या .... के अधीन उससे अपेक्षित समस्त कृत्यों का सम्पादन करने तथा उक्त नियमावली के अधीन प्रतिषिद्ध किसी क्रियाकलाप से बंचित रहने के प्रति वचनबद्ध है।

4. यह कि वन समिति/इको विकास समिति की ओर से राज्य सरकार के संकल्प संख्या .... का परिपालन सुनिश्चित करने का दायित्व समिति की कार्यकारिणी का होगा, जिसका गठन एवं निबंधन राज्य सरकार के उक्त संकल्प की कंडिका 3 (iii) एवं 6 के अधीन क्रमशः समिति की आम सभा एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी .... प्रमंडल द्वारा किया जाएगा।

5. यह कि वन समिति/इको विकास समिति राज्य सरकार के संकल्प संख्या .... के अधीन वनों के प्रबंधन/संरक्षण के निर्धारित दायित्वों एवं कर्त्तव्यों के पूर्ण निर्वहन में विफल रहती है, तो

वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा स्वविवेक से वनों के प्रबंधन/संरक्षण के विषयगत किसी, अथवा सभी दायित्वों एवं कर्त्तव्यों के विभागीय निष्पादन की व्यवस्था की जाएगी और ऐसी स्थिति में वन समिति/इको विकास समिति को संयुक्त वन प्रबंधन से प्राप्त होने वाले लाभ से वंचित किया जा सकेगा किन्तु वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा उक्त प्रकार के किसी निर्णय हेतु कारणों का उल्लेख करते हुए लिखित निर्गत किया जाएगा और वन समिति/इको विकास समिति को उक्त आदेश की प्रति सदस्य से हस्तगत करायी जाएगी।

6. यह कि राज्य सरकार का संकल्प .... के उपबंधों के परिचालन तथा वन समिति/इको विकास समिति द्वारा उक्त उपबंधों के परिपालन में सहयोग हेतु स्थानीय वन पदाधिकारियों के माध्यम से राज्य सरकार वचनबद्ध है।

7. यह कि यह अनुबंध किसी भी प्रकार के भू–स्वामित्व को परिवर्तित नहीं करेगा।

8. यह कि राज्य सरकार का संकल्प संख्या .... इस अनुबंध का एक अंश है। संकल्प की प्रति संलग्न है, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर हमारे हस्ताक्षर प्रमाण है कि हमने इसे शब्द रूप एवं भाव रूप में पढ़–समझ कर इसमें निहित समस्त उपबंधों एवं प्रावधानों को स्वीकार किया है।

9. यह कि इस अनुबंध के संदर्भ में उठने वाले सभी विवादों एवं मतभेदों को विवेचन हेतू वन संरक्षक .... अंचल के समक्ष निवेदित किया जाएगा और इस संबंध में निर्णायक के रूप में वन संरक्षक का निर्णय अन्तिम एवं इस अनुबंध के दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

10. यह कि यह अनुबंध .... वन समिति/इको विकास समिति की ओर से श्री .... अध्यक्ष .... वन समिति/इको विकास समिति तथा झारखण्ड के राज्यपाल की ओर से श्री .... वनों के क्षेत्र पदाधिकरी .... वन प्रक्षेत्र द्वारा प्रतिपादित किया गया।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
(नाम ....)	(नाम ....)
अध्यक्ष, ... वन समिति/इको विकास समिति	अध्यक्ष, ... वन समिति/इको विकास समिति
तिथि :	तिथि : ....
स्थान :	स्थान : ....

अनुसूची

वन क्षेत्र का विवरण

1. वन समिति / इका विकास समिति :
2. जिला :
3. प्रखण्ड :
4. थाना एवं थाना संख्या :
5. ग्राम / डाकघर :
6. ग्राम पंचायत :
7. वन प्रमण्डल :
8. वन प्रक्षेत्र :
9. वन परिसर :
10. वन उप–परिसर :
11. वन / वनों का नाम :
12. वन भूमि की विधिक प्रास्थिति : (सुरक्षित वन / आरक्षित वन / आश्रयणी / राष्ट्रीय उद्यान)
13. क्षेत्रफल (हेक्टेयर / एकड़) :
14. सीमाएँ : उत्तर पूरब
    दक्षिण पशिचम
15. वन क्षेत्र का मानचित्र–संलग्न (4'' = 1 मील)

हस्ताक्षर
(नाम..)
अध्यक्ष, ... वन समिति / इको विकास समिति
तिथि : ....
स्थान : ....

हस्ताक्षर
(नाम..)
वनों के क्षेत्र पदाधिकारी .... वन प्रक्षेत्र
तिथि : ....
स्थान : ....

साक्षियों के हस्ताक्षर

1. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा नाम–निर्दिष्ट पदाधिकारी का हस्ताक्षर
   नाम :
   पदनाम :
   तिथि :
   स्थान:
   पता :
2. मुखिया / सरपंच, ... ग्राम पंचायत का हस्ताक्षर
   नाम :
   तिथि :
   स्थान:
   पता :

प्रपत्र – 2
ग्राम वन प्रबंधन एवं संरक्षण समिति (वन समिति)/ ग्राम पारिस्थितिक विकास समिति (इको विकास समिति) कार्यकारिणी का निबंधन – पत्र

1. जिला का नाम :–
2. प्रखण्ड का नाम :–
3. थाना /थाना संख्या :–
4. ग्राम पंचायत का नाम :–
5. वन प्रमण्डल का नाम :–
6. वन प्रक्षेत्र का नाम :–
7. वन परिसर का नाम :–
8. वन उप–परिसर का नाम :–
9. वन समिति/इको विकास समिति का नाम :–
10. किन वनों के संयुक्त प्रबंधन हेतु वन समिति/इको विकास समिति गठित की गई है :–
    (1)
    (2)
    (3)
11. वन समिति/इको विकास समिति तथा कार्यकारिणी के गठन की तिथि :–
    (1) वन समिति/इको विकास समिति का गठन (तिथि) ....
    (2) कार्यकारिणी का गठन (तिथि) ....
13. उक्त तिथियों में आम सभा की बैठकों में ग्रामीणों की उपस्थिति का सारांश :–
    (1) वन समिति/इको विकास समिति के गठन के दिन :–
    पुरूष : महिलाएँ :
    (2) कार्यकारिणी के गठन के दिन :–
    पुरूष : महिलाएँ
14. उक्त बैठकों में वन विभाग का प्रतिनिधित्व :–

	आम सभा की बैठक की तिथि दिनांक	दिनांक ....
(1) वनों के क्षेत्र पदाधिकारी .... प्रक्षेत्र श्री	उपस्थित/अनुपस्थित	उपस्थित/अनुपस्थित
(2) वनपाल .... परिसर श्री	उपस्थित/अनुपस्थित	उपस्थित/अनुपस्थित
(3) वनरक्षी .... उप–परिसर श्री	उपस्थित/अनुपस्थित	उपस्थित/अनुपस्थित

15. उक्त बैठकों की कार्यवाहियों की हस्ताक्षारित प्रतियाँ वन प्रमणडल पदाधिकारी को समर्पित की गई है या नहीं :–

16. गठित / चयनित कार्यकारिणी के सदस्य :–

निर्वाचित / चयिनित सदस्य :–

(1) अध्यक्ष – श्री / श्रीमती / सुश्री :..
(2) उपाध्यक्ष – श्री / श्रीमती / सुश्री :..
(3) सह–सचिव – श्री / श्रीमती / सुश्री :..
(4) सदस्य – श्री / श्रीमती / सुश्री :..
(5) सदस्य – श्री / श्रीमती / सुश्री :..
(6) सदस्य – श्री / श्रीमती / सुश्री :..
(7) सदस्य – श्री / श्रीमती / सुश्री :..
(8) सदस्य – श्री / श्रीमती / सुश्री :..
(9) सदस्य – श्री / श्रीमती / सुश्री :..
(10) सदस्य – श्री / श्रीमती / सुश्री :..
(11) सदस्य – श्री / श्रीमती / सुश्री :..
(12) सदस्य – श्री / श्रीमती / सुश्री :..
(13) सदस्य – श्री / श्रीमती / सुश्री :..
(14) सदस्य – श्री / श्रीमती / सुश्री :..
(15) सदस्य – श्री / श्रीमती / सुश्री :..
(16) सदस्य – श्री / श्रीमती / सुश्री :..
(17) सदस्य – श्री / श्रीमती / सुश्री :..
(18) सदस्य – श्री / श्रीमती / सुश्री :..

पदेन सदस्य :–

(1) सदस्य सचिव – श्री / श्रीमती / सुश्री :..
वनपाल .... परिसर
(2) उप सचिव – श्री / श्रीमती / सुश्री :..
वनपाल .... परिसर
(3) सदस्य – श्री / श्रीमती / सुश्री :..........................(पदनाम) ग्राम पंचायत...................
(4) सदस्य – श्री / श्रीमती / सुश्री :..........................(पदनाम) ग्राम पंचायत...................
(5) सदस्य – श्री / श्रीमती / सुश्री :..........................(पदनाम) ग्राम पंचायत...................
(6) सदस्य – श्री / श्रीमती / सुश्री :......................मानकी / मुण्डा / मांझी / पाहन / परगनैत
(7) सदस्य – श्री / श्रीमती / सुश्री :......................मानकी / मुण्डा / मांझी / पाहन / परगनैत

17. निबंधन हेतु आवेदन वन प्रक्षेत्र कार्यालय में प्राप्त होन की तिथि :–
18. वनों के क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा अग्रसारित आवेदन वन प्रमंडल कार्यालय में प्राप्त होने की तिथि :–
19. निबंधन की तिथि ....
20. निबंधन की अवधि .... तिथि .... से तिथि .... तक

(उक्त अवधि के उपरांत निबंधन का नवीकरण अथवा पुनर्निबंधन अनिवार्य होगा)

21. निबंधन संख्या ....
22. निबंधन की शर्त्त :

(1) निबंधित वन समिति / इको विकास समिति के कार्यकलाप झारखण्ड संयुक्त वन प्रबंधन नियमावली 2000 के अधीन असंतोषप्रद अथवा आपत्तिजनक पाए जाने पर उक्त निबंधन बिना किसी पूर्व सूचना के स्थगित / निरस्त किया जा सकेगा।

(2) निबंधित वन समिति / इको विकास मिति की कार्यकारिणी में किसी परिवर्त्तन की सूचना सदस्य सचिव द्वारा इसे परिवर्त्तन के 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को समिर्पित की जाएगी।

वन प्रमंडल पदाधिकारी
.... वन प्रमंडल

प्रपत्र – 3
वन समिति द्वारा सूक्ष्म योजना (माईक्रोप्लान) निर्माण के लिए प्रपत्र

''क''

आधारभूत सूचना

1. वन समिति का नाम :–
2. ग्राम/ग्रामों का नाम :–
3. थाना/थाना संख्या :–
4. ग्राम पंचायत :–
5. प्रखण्ड :–
6. अनुमण्डल :–
7. जिला :–
8. वन उप–परिसर :–
9. वन परिसर :–
10. वन प्रक्षेत्र :–
11. वन प्रमंडल :–
12. वन समिति के गठन की तिथि :–
13. वन समिति के निबंधन की संख्या :–

''ख''

जन सांख्यिक प्राचल

1. कुल जनसंख्या
   - (i) (क) पुरूष :–
   - (ख) महिलाएँ :–
   - (ii) (क) अनुसूचित जाति :–
   - (ख) अनुसूचित जन जाति :–
   - (ग) पिछड़ा वर्ग :–
   - (घ) अन्य :–
2. कुल गृहवासों की संख्या
   - (क) अनुसूचित जाति :–
   - (ख) अनुसूचित जन जाति :–
   - (ग) पिछड़ा वर्ग :–
   - (घ) अन्य :–

3. पालित पशुओं की संख्या

(क) मवेशी :—

(ख) भेड़ एवं बकरी :—

4. साक्षरता का प्रतिशत :—

5. भूमिहीन परिवारों की संख्या :—

6. आजीविका हेतु वनों पर निर्भर व्यक्तियों की संख्या :—

7. नियोजनहीन व्यक्तियों की संख्या :—

''ग''

जल संसाधन

1. पेयजल की उपलब्ध सुविधा :—

2. सिंचाई के उपलब्ध साधनों का विवरण :—

3. भूमिगत जल—स्तर :—

''घ''

भूमि संसाधन

1. वैधानिक पारिस्थिति के अनुसार भूमि का विवरण :

(i) वन भूमि .... हे०/एकड़

(ii) गैरमजरूआ आम .... हे०/एकड़

(iii) गैरमजरूआ खास .... हे०/एकड़

(iv) केसर हिन्द .... हे०/एकड़

(v) रैयती .... हे०/एकड़

(vi) अन्य .... हे०/एकड़

2. उपयोग के अनुसार भूमि का विवरण :—

(i) वन भूमि .... हे०/एकड़

(ii) कुल कृषि—भूमि .... हे०/एकड़

(क) सिंचित .... हे०/एकड़

(ख) असिंचित .... हे०/एकड़

(iii) वन भूमि .... हे०/एकड़

(iv) वन भूमि .... हे०/एकड़

(v) वन भूमि .... हे०/एकड़

(क) वन भूमि .... हे०/एकड़

(ख) वनेतर भूमि .... हे०/एकड़

(vi) अन्य .... हे०/एकड़

''ङ''

अन्य प्राचलों से सम्बंधित सूचना

1. भू–गर्भ प्रस्तर एवं मृदा :–
2. जलवायु :–
   (क) औसत तापक्रम :–
   (ख) औसत वार्षिक वर्षा :–
3. कुटीर उद्योग :–
4. निकटवर्त्ती प्रमुख उद्योग :–
5. संचार के साधन :–
   सड़क :–
   रेल :–
   दूरभाष :–
6. विद्युत आपूर्त्ति :–
7. शिक्षण संस्थान :–
8. अधिकोष :–
9. स्वास्थ्य सुविधा :–
10. कार्यशील गैर–सरकारी संगठन :–
11. बाजार में ग्राम / ग्रामों के ग्रामीणों द्वारा विक्रय किए जानेवाले वन पदार्थो की वार्षिक मात्रा :–
    (क) प्रकाष्ठ :–
    (ख) इंधन–प्रकाष्ठ :–
    (ग) लघु वनापज :–

''च''

कृषि संबंधी सूचनाएँ

1. मुख्य–कृषि–उपज :–
2. विभिन्न कृषि–उपजों का औसत वार्षिक उत्पादन, प्रति एकड़ / हे० :–

''छ''

वन का विवरण

1. वन / वनों का नाम :–
2. वन / वनों का क्षेत्रफल :–
3. मानचित्र (4'' = 1 मील) :– संलग्न

4. सरकार द्वारा निर्गत वन/वनों की अधिसूचना संख्या :–
5. वनों का प्रकार – (चैम्पियन एवं सेठ का वर्गीकरण) :–
6. कार्य–वृत्त एवं उनके अधीन वन क्षेत्र का क्षेत्रफल :–
7. मुख्य पादप प्रजातियाँ :–
8. वन्य जीवों की प्रास्थिति :–
9. घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण :–
   (i) सघन वन (घनत्व $\geq$ 0.4) .... हे०/एकड़
   (ii) अवकृष्ठ वन (घनत्व > 0.4) .... हे०/एकड़
   (i) वृक्षविहीन क्षेत्र .... हे०/एकड़
10. वर्घी संनिधि (Growing Stock)
11. अधिकार एवं समुपदान का विवरण :–
    (खतियान भाग – 2 के अनुसार)

''ज''

वन प्रबंधन

1. वन प्रबंधन के उद्देश्य :–
2. वनों की सुरक्षा की व्यवस्था :–
3. वनों की अग्नि से सुरक्षा की व्यवस्था :–
4. प्रबंध–पद्धति :–
5. पातनावृति :–
6. प्राप्ति का विनियमन :–
7. वन–वर्द्धन–पद्धति :–
8. पातन–कार्यक्रम :–
9. विरलन – कार्यक्रम :–

''झ''

विभिन्न कार्यो के लिए व्यय–दरों का निर्धारण

1. वन–वर्द्धन कार्य :–
2. विरलन :–
3. चिन्हण :–
4. पातन :–
5. परिवहन :–
6. विपणन :–
7. अन्य

अभिधेय :–

वन विकास के कार्यो के लिए मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड द्वारा निर्धारित दर–अनुसूची का तथा ग्राम विकास कार्यो के लिए प्रमण्डलीय आयुक्त द्वारा अनुमोदित दर–अनुसूची का अनुपांलन किया जाएगा। यदि किसी कार्य के लिए दर निर्धारित नहीं हो रहा हो, तो वन संरक्षक कार्य का इकाई एकक–दर निर्धारित/अनुमोदित कर सकेंगे।

''ञ''

लघु वन उपजों के संग्रहण एवं स्त्रोत संवर्द्धन की योजना

1. संग्रहण हेतु उपलब्ध लघु वन उपजों के प्रकार :–
2. प्रत्येक प्रकार के लघु वन उपज के लिए संग्रहण का क्षेत्र/स्थल :–
3. संग्रहण की अवधि एवं आवृति :–
4. लघु वन उपज के स्त्रोतों के संवर्द्धन की योजना :–

''ट''

वन पदार्थ की प्राप्ति

1. अगले दस वर्षो में वर्षवार वन पदार्थ की सतत–पोष्य प्राप्ति का पूर्वानुमान :–

क्र० सं०	उपचार	वन पदार्थ की प्राप्ति					
		वर्ष–1	वर्ष–2	वर्ष–3	वर्ष–4	वर्ष–5	वर्ष–6
1.	वन–वर्द्धन कार्य :– (क) विरलन :– (ख) अन्य :–						
2.	साल स्थूणन :– (कॉपिसिंग)						
3.	मिश्रित आधारकर्तन :– (कट बैंक) :–						
4.	पातन :–						
5.	अन्य :–						

6. लघु वन उपजों के संग्रहण का आगामी दस वर्षो के लिए वर्षावार पूर्वानुमान

क्र० सं०	लघु वनोपज	संग्रहण का पूर्वानुमान					
		वर्ष–1	वर्ष–2	वर्ष–3	वर्ष–4	वर्ष–5	वर्ष–6
1.	केन्दू पत्ती						
2.	महुआ फूल						
3.	महुआ बीज						
4.	साल बीज						
5.	करंज बीज						
6.	कुसुम बीज						
7.	त्रिफला						
8.	साल–पत्ता						
9.	महुलान–पत्ता						

''ठ''

वन पदार्थ की स्थानीय खपत

वन समिति के घटक ग्रामों का ग्रामीणों की वन पदार्थों की आगामी दस वर्षों में घरेलू उपयोग हेतु आवश्यकता का वर्षवार पूर्वानुमान :–

क्र० सं०	वन पदार्थ का नाम	आवश्यकता का पूर्वानुमान					
		वर्ष–1	वर्ष–2	वर्ष–3	वर्ष–4	वर्ष–5	वर्ष–6
1.	प्रकाष्ठ :–						
2.	ईंधन प्रकाष्ठ :–						
3.	लघु प्रकाष्ठ :–						
4.	चारा						
5.	बाँस						
6.	लघु वन पदार्थ						
	(क)						
	(ख)						
	(ग)						

''ड''

अधिवेष वन पदार्थ

1. विपणन हेतु उपलब्ध अधिशष वन पदार्थो का आगामी दस वर्षो के लिए वर्षवार पूर्वानुमान :–

क्र० सं०	वन पदार्थ का नाम	विपणन हेतु उपलब्ध अधिशेष वन पदार्थ					
		वर्ष–1	वर्ष–2	वर्ष–3	वर्ष–4	वर्ष–5	वर्ष–6
1.	प्रकाष्ठ :–						
2.	ईंधन प्रकाष्ठ :–						
3.	लघु प्रकाष्ठ :–						
4.	चारा						
5.	बाँस						
6.	लघु वन पदार्थ						
	(क)						
	(ख)						
	(ग)						

2. अधिशेष वन पदार्थो के विपणन से आगामी दस वर्षो में वर्षवार आय का पूर्वानुमान :–

क्र० सं०	वर्ष	कुल अनुमानित आय (रू०)	विदोहन एवं विपणन पर व्यय	शुद्ध लाभ	सरकार का लाभांश (शुद्ध लाभ का 10 प्रतिशत)	वन समिति का लाभांश		
						वन विकास निधि 30 प्रतिशत	ग्राम विकास निधि 30 प्रतिशत	कार्यकारी निधि 30 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9

''ढ''

वन/विकास ग्राम विकास

(क) आगामी दस वर्षो के लिए वास्तविक आवश्यकतानुसार प्रस्तावित वन विकास कार्य एवं अनुमानित परिव्यय

1. सीमा स्तम्भों की मरम्मती एवं संधारण :–
2. अग्नि सुरक्षा :–
3. वन वर्द्धन कार्य :–
4. स्थूलन :–
5. विरलन :–
6. वनरोपन :–
   (क) बाँस :–
   (ख) लघु वन पदार्थ :–
   (ग) औषधीय पौधे :–
   (घ) अन्य :–
7. अवकृष्ट वनों का पुनर्वास :–
8. स्थायी पौधशाला :–
9. वनपथों का संधारण :–
10. वनों की सुरक्षा :–
11. लघु वन पदार्थों के आधार स्त्रोंतों का संवर्द्धन :–
12. सामाजिक/कृषि वानिकी :–

(ख) आगामी दस वर्षो के लिए वास्तविक आवश्यकतानुसार प्रस्तावित ग्राम विकास कार्य एवं अनुमानित परिव्यय

1. पेय जल की सुविधा :–
2. सिंचाई की सुविधा :–
3. शिक्षा की सुविधा :–
4. स्वास्थ्य–उपचार की सुविधा :–
5. स्वच्छन एवं अपवहन :–
6. सड़कों एवं पुलों का संधारण :–

7. जल–संग्रहण :–
8. मृदा संरक्षण :–
9. वनाधारित कुटीर उद्योग :–
10. अन्य कुटीर उद्योग :–
11. अन्य :–

''ण''

वन विकास निधी, ग्राम विकास निधि एवं कार्यकारी निधि

1. वन विकास निधि से प्रस्तावित कार्य :–
वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य :–

1. सीमा स्तम्भों की मरम्मती एवं संधारण :–
2. अग्नि सुरक्षा :–
3. वन वर्द्धन कार्य :–
4. स्थूलन :–
5. विरलन :–
6. वनरोपन :–
   (क) बाँस :–
   (ख) लघु वन पदार्थ :–
   (ग) औषधीय पौधे :–
   (घ) अन्य :–
7. अवकृष्ट वनों का पुनर्वास :–
8. स्थायी पौधशाला :–
9. वनपथों का संधारण :–
10. वनों की सुरक्षा :–
11. लघु वन पदार्थों के आधार स्त्रोंतों का संवर्द्धन :–
12. सामाजिक / कृषि वानिकी :–

2. ग्राम विकास निधि से प्रस्तावित कार्य
वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

1. पेय जल की सुविधा :–
2. सिंचाई की सुविधा :–
3. शिक्षा की सुविधा :–
4. स्वास्थ्य–उपचार की सुविधा :–
5. स्वच्छन एवं अपवहन :–
6. सड़कों एवं पुलों का संधारण :–
7. जल–संग्रहण :–
8. मृदा संरक्षण :–
9. वनाधारित कुटीर उद्योग :–
10. अन्य कुटीर उद्योग :–
11. अन्य :–

3. कार्यकारी निधि के आगामी दस वर्षो के लिए उपयोग की वर्षवार योजना :–

अध्यक्ष :
(ग्राम वन प्रबंधन एवं संरक्षण समिति)
हस्ताक्षर :
नाम :
तिथि :
स्थान :

सदस्य सचिव :
(ग्राम वन प्रबंधन एवं संरक्षण समिति)
हस्ताक्षर :
नाम :
तिथि :
स्थान :

वनों के क्षेत्र पदाधिकारी का मन्तव्य :
हस्ताक्षर :
नाम :
तिथि :
स्थान :

वन प्रमंडल पदाधिकारी का मन्तव्य :
हस्ताक्षर :
नाम :
तिथि :
स्थान :

वन संरक्षक का अनुमोदन :
हस्ताक्षर :
नाम :
तिथि :
स्थान :

प्रपत्र – 3 – अ

इको विकास समिति द्वारा सूक्ष्म योजना (माईक्रोप्लान) निर्माण के लिए प्रपत्र

''क''

आधारभूत सूचना

1. इको विकास समिति का नाम :–
2. ग्राम/ग्रामों का नाम :–
3. थाना/थाना संख्या :–
4. ग्रात पंचायत :–
5. प्रखण्ड :–
6. अनुमण्डल :–
7. जिला :–
8. वन उप–परिसर :–
9. वन परिसर :–
10. वन प्रक्षेत्र :–
11. वन प्रमंडल :–
12. इको विकास समिति के गठन की तिथि :–
13. इको विकास समिति के निबंधन की संख्या :–

''ख''

जन्सांख्यिक प्राचल

1. कुल जनसंख्या
   1. कुल जनसंख्या
   (i) (क) पुरूष :–
   (ख) महिलाएँ :–
   (ii) (क) अनुसूचित जाति :–
   (ख) अनुसूचित जन जाति :–
   (ग) पिछड़ा वर्ग :–
   (घ) अन्य :–
2. कुल गृहवासों की संख्या
   (क) अनुसूचित जाति :–
   (ख) अनुसूचित जन जाति :–
   (ग) पिछड़ा वर्ग :–
   (घ) अन्य :–
3. पालित पशुओं की संख्या
   (क) मवेशी :–
   (ख) भेड़ एवं बकरी :–
4. साक्षरता का प्रतिशत :–
5. भूमिहीन परिवारों की संख्या :–
6. आजीविका हेतु वनों पर निर्भर व्यक्तियों की संख्या :–
7. नियोजनहीन व्यक्तियों की संख्या :–

''ग''

जल संसाधन

1. पेयजल की उपलब्ध सुविधा :–
2. सिंचाई के उपलब्ध साधनों का विवरण :–
3. भूमिगत जल–स्तर :–

''घ''

भूमि संसाधन

1. वैधानिक पारिस्थिति के अनुसार भूमि का विवरण :
   (i) वन भूमि .... हे०/एकड़
   (ii) गैरमजरूआ आम .... हे०/एकड़
   (iii) गैरमजरूआ खास .... हे०/एकड़
   (iv) केसर हिन्द .... हे०/एकड़
   (v) रैयती .... हे०/एकड़
   (vi) अन्य .... हे०/एकड़
2. उपयोग के अनुसार भूमि का विवरण :–
   (i) वन भूमि .... हे०/एकड़
   (ii) कुल कृषि–भूमि .... हे०/एकड़
   (क) सिंचित .... हे०/एकड़
   (ख) असिंचित .... हे०/एकड़
   (iii) वन भूमि .... हे०/एकड़
   (iv) वन भूमि .... हे०/एकड़
   (v) वन भूमि .... हे०/एकड़
   (क) वन भूमि .... हे०/एकड़
   (ख) वनेतर भूमि .... हे०/एकड़
   (vi) अन्य .... हे०/एकड़

''ङ''

अन्य प्राचलों से सम्बंधित सूचना

1. भू–गर्भ प्रस्तर एवं मृदा :–
2. जलवायु :–
   (क) औसत तापक्रम :–
   (ख) औसत वार्षिक वर्षा :–
3. कुटीर उद्योग :–
4. निकटवर्त्ती प्रमुख उद्योग :–
5. संचार के साधन :–
   सड़क :–
   रेल :–
   दूरभाष :–

6. विद्युत आपूर्त्ति :–
7. शिक्षण संस्थान :–
8. अधिकोष :–
9. स्वास्थ्य सुविधा :–
10. कार्यशील गैर–सरकारी संगठन :–
11. बाजार में ग्राम / ग्रामों के ग्रामीणों द्वारा विक्रय किए जानेवाले वन पदार्थो की वार्षिक मात्रा :–
    (क) प्रकाष्ठ :–
    (ख) इंधन–प्रकाष्ठ :–
    (ग) लघु वनापज :–

''च''

कृषि संबंधी सूचनाएँ

1. मुख्य–कृषि–उपज :–
2. विभिन्न कृषि–उपजों का औसत वार्षिक उत्पादन, प्रति एकड़ / हे० :–

''छ''

वन का विवरण

1. वन / वनों का नाम :–
2. वन / वनों का क्षेत्रफल :–
3. मानचित्र (4'' = 1 मील) :– संलग्न
4. सरकार द्वारा निर्गत वन / वनों की अधिसूचना संख्या :–
5. वनों का प्रकार – (चैम्पियन एवं सेठ का वर्गीकरण) :–
6. कार्य–वृत्त एवं उनके अधीन वन क्षेत्र का क्षेत्रफल :–
7. मुख्य पादप प्रजातियाँ :–
8. वन्य जीवों की प्रास्थिति :–
9. घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण :–
    (i) सघन वन (घनत्व $\geq$ 0.4) .... हे० / एकड़
    (ii) अवकृष्ठ वन (घनत्व > 0.4) .... हे० / एकड़
    (i) वृक्षविहीन क्षेत्र .... हे० / एकड़

''ज''

वन प्रबंधन

1. वन प्रबंधन के उद्देश्य :–
2. वनों की सुरक्षा की व्यवस्था :–
3. वनों की अग्नि से सुरक्षा की व्यवस्था :–
4. प्रबंध–पद्धति :–
5. पातनावृति :–
6. प्राप्ति का विनियमन :–

7. वन–वर्द्धन–पद्धति :–

8. पातन–कार्यक्रम :–

9. विरलन – कार्यक्रम :–

''झ''

विभिन्न कार्यो के लिए व्यय–दरों का निर्धारण

1. वन–वर्द्धन कार्य :–
2. विरलन :–
3. चिन्हण :–
4. पातन :–
5. परिवहन :–
6. विपणन :–
7. अन्य :–

अभिधेय :–

वन विकास के कार्यो के लिए मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड द्वारा निर्धारित दर–अनुसूची का तथा ग्राम विकास कार्यो के लिए प्रमणडलीय आयुक्त द्वारा अनुमोदित दर–अनुसूची का अनुपालन किया जाएगा। यदि किसी कार्य के लिए दर निर्धारित नहीं हो रहा हो, तो वन संरक्षक कार्य का इकाई एकक–दर निर्धारित/अनुमोदित कर सकेंगे।

''ञ''

वन पदार्थ की स्थानीय आवश्यकता

वन समिति के घटक ग्रामों का ग्रामीणों की वन पदार्थों की आगामी दस वर्षों में घरेलू उपयोग हेतु आवश्यकता का वर्षवार पूर्वानुमान :–

क्र० सं०	वन पदार्थ का नाम	आवश्यकता का पूर्वानुमान					
		वर्ष–1	वर्ष–2	वर्ष–3	वर्ष–4	वर्ष–5	वर्ष–6
1.	प्रकाष्ठ :–						
2.	ईंधन प्रकाष्ठ :–						
3.	लघु प्रकाष्ठ :–						
4.	चारा						
5.	बाँस						
6.	लघु वन पदार्थ						
	(क)						
	(ख)						
	(ग)						

''ट''

वन पदार्थ की स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति के लिये विभागीय व्यवस्था

''ठ''

लघु वन उपजों के संग्रहण एवं स्त्रोत संवर्द्धन की योजना

1. संग्रहण हेतु उपलब्ध लघु वन उपजों के प्रकार :–
2. प्रत्येक प्रकार के लघु वन उपज के लिए संग्रहण का क्षेत्र/स्थल :–
3. संग्रहण की अवधि एवं आवृति :–
4. वन/वनों पर किसी विनाशक प्रभाव के बिना प्रत्येक के लघु वन उपल का अनुमानित संग्रहणीय परिमाण (वर्षवार–आगामी दस वर्षो के लिए) :–
5. लघु वन उपज के स्त्रोतों के संवर्द्धन की योजना :–

''ड''

लघु वन उपजों के संग्रहण एवं विपणन से आगामी दस वर्षो में इको विकास समिति को प्राप्त होने वाले लाभाशं का पूर्वानुमान

क्र० सं०	लघु वनोपज का नाम	संग्रहण का पूर्वानुमान											
		वर्ष–1		वर्ष–2		वर्ष–3		वर्ष–4		वर्ष–5		वर्ष–6	
		ग्राम विकास निधि	कार्य–कारी निधि	ग्राम विकास निधि	कार्य–कारी निधि	ग्राम विकास निधि	कार्य–कारी निधि	ग्राम विकास निधि	कार्य–कारी निधि	ग्राम विकास निधि	कार्य–कारी निधि	ग्राम विकास निधि	कार्य–कारी निधि
1.	केन्दू पत्ती												
2.	महुआ फूल												
3.	महुआ बीज												
4.	साल बीज												
5.	करंज बीज												
6.	कुसुम बीज												
7.	त्रिफला												
8.	साल–पत्ता												
9.	महुलान–पत्ता												

''ढ''

वनों से आगामी वर्षो में इको विकास समिति को प्राप्त होने वाले लाभांश का पूर्वानुमान

क्रमांक	वर्ष	ग्राम विकास निधि	कार्यकारी निधि

''ण''

आगामी दस वर्षो के लिए वास्तविक आवश्यकतानुसार प्रस्तावित
ग्राम विकास कार्य एवं अनुमानित वित्तीय परिव्यय

1. पेय जल की सुविधा :–
2. सिंचाई की सुविधा :–
3. शिक्षा की सुविधा :–
4. स्वास्थ्य–उपचार की सुविधा :–
5. स्वच्छन एवं अपवहन :–
6. सड़कों एवं पुलों का संधारण :–
7. जल–संग्रहण :–
8. मृदा संरक्षण :–
9. वनाधारित कुटीर उद्योग :–
10. अन्य कुटीर उद्योग :–
11. अन्य :–

''प''

ग्राम विकास निधि एवं कार्यकारी निधि

1. ग्राम विकास निधि से प्रस्तावित कार्य वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

1. पेय जल की सुविधा :–
2. सिंचाई की सुविधा :–
3. शिक्षा की सुविधा :–
4. स्वास्थ्य–उपचार की सुविधा :–
5. स्वच्छन एवं अपवहन :–
6. सड़कों एवं पुलों का संधारण :–
7. जल–संग्रहण :–
8. मृदा संरक्षण :–
9. वनाधारित कुटीर उद्योग :–
10. अन्य कुटीर उद्योग :–
11. अन्य :–

2. कार्यकारी निधि के आगामी दस वर्षो के लिए उपयोग की वर्षवार योजना :–

अध्यक्ष : ....

(इको विकास समिति) ....

हस्ताक्षर :

नाम :

तिथि :

स्थान :

सदस्य सचिव (नाम) : ....

(इको विकास समिति) ....

हस्ताक्षर :

नाम :

तिथि :

स्थान :

वनों के क्षेत्र पदाधिकारी का मन्तव्य :

हस्ताक्षर :

नाम :

तिथि :

स्थान :

वन प्रमंडल पदाधिकारी का मन्तव्य :

हस्ताक्षर :

नाम :

तिथि :

स्थान :

वन संरक्षक का अनुमोदन :

हस्ताक्षर :

नाम :

तिथि :

स्थान :

''पपत्र–4''
वार्षिक कार्य योजना

वन समिति/इको विकास समिति का नाम ....

वित्तीय वर्ष :...

1. जिला का नाम :–
2. प्रखण्ड का नाम :–
3. ग्राम पंचायत का नाम :–
4. थाना /थाना संख्या :–
5. वन प्रमण्डल का नाम :–
6. वन प्रक्षेत्र का नाम :–
7. वन परिसर का नाम :–
8. वन उप–परिसर का नाम :–
9. सूक्ष्म योजना के निर्माण का वर्ष :–
10. सूक्ष्म योजना के अनुसार पातन का कार्यक्रम :–
    (क) विदोहन से प्राप्त होने वाला वन पदार्थ :–
    (ख) विदोहन एवं विपणन पर होने वाला व्यय :–
    (ग) वन समिति के सदस्यों की निजी आवश्यकता हेतु वन पदार्थ का वितरण :–
    (घ) अधिशेष वन पदार्थ :–
    (ङ) अधिशेष वन पदार्थ के विक्रय से प्राप्त होने वाली आय :–
    (च) वन पदार्थ के विपणन से प्राप्त शुद्ध लाभ में वन समिति/इको विकास समिति का अंश :–
11. लघु वन पदार्थ :
    (क) लघु वन पदार्थ के संग्रहण का लक्ष्य :–
    (ख) लघु वन पदार्थ के संग्रहण एवं विपणन से वन समिति/इको विकास समिति को प्राप्त होन वाला शुद्ध लाभ :–

1. अन्य स्त्रोतों से वन समिति/इको विकास समिति को आय :–

2. अद्यतन वर्षवार उपलब्धि :–

क्र० सं०		वित्तीय वर्ष	उपलब्ध निधि (गत वर्ष का शेष + नव सृजित)	कार्य का प्रकार	कृत कार्य का परिमाण	व्यय	शेष निधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ग्राम विकास निधि	1. 2. 3.					
2.	वन विकास निधि	1. 2. 3.					
3.	कार्यकारी निधि	1. 2. 3.					

14. विगत वार्षिक कार्य योजना की उपलब्धि :–

क्र० सं०		कार्य का प्रकार	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	स्वीकृत व्यय	वास्तविक व्यय
1	2	3	4	5	6	7
1.	ग्राम विकास निधि					
2.	वन विकास निधि					
3.	कार्यकारी निधि					

15. वित्तीय वर्ष .... में प्रस्तावित कार्य :—

क्र० सं०		कार्य का प्रकार	भौतिक लक्ष्य	दर	प्रस्तावित व्यय	वास्तविक कार्य अवधि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	
1.	ग्राम विकास निधि						
2.	वन विकास निधि						
3.	कार्यकारी निधि						

वन समिति / इको विकास समिति के

अध्यक्ष का हस्ताक्षर

नाम :

तिथि :

स्थान :

वन समिति / इको विकास समिति के

सदस्य सचिव का हस्ताक्षर

नाम :

तिथि :

स्थान :

वनों के क्षेत्र पदाधिकारी का मंतव्य

हस्ताक्षर :

तिथि :

स्थान :

वन प्रमंडल पदाधिकारी / वन संरक्षक / क्षेत्रीय

मुख्य वन संरक्षक / प्रधान मुख्य वन संरक्षक का

अनुमोदन :

हस्ताक्षर :

तिथि :

स्थान :

''पपत्र–5''

कार्यालय, वन प्रमंडल पदाधिकारी, ... वन प्रमंडल

पत्रांक : .... स्थान .... दिनांक ....

प्रेषक

वन प्रमंडल पदाधिकारी,

.... वन प्रमंडल

....

सेवा में

.... (अधिकोष का नाम) / पोस्टमास्टर

.... (शाखा का नाम) .... डाकघर

.... (स्थान) ....

विषय : वन समिति / इको विकास समिति के पक्ष में बचत लेखा खोले जाने के संबंध में।

महाशय,

सूचित करना है कि .... वन समिति / इको विकास समिति झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या .... में विहिप प्रक्रियानुसार गठित निबंधित है। उक्त वन समिति / इको विकास समिति के अध्यक्ष श्री .... ग्राम .... थाना .... है तथा श्री .... वनपाल .... वन परिसर उक्त वन समिति / इको विकास समिति के पदेन सदस्य सचवि है।

अनुरोध है कि उक्त वन समिति / इको विकास समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव द्वारा संयुक्त आवेदन किए जाने पर उनके पक्ष में संयुक्त पदनामों से तीन / दो / एक बचत लेखा निम्नांकित शीर्षो / शीर्ष तथा निम्नवत् शर्तों के अधीन खोलने की कृपा करें :–

शीर्ष : (1) ग्राम विकास निधि

(2) वन विकास निधि

(3) कार्यकारी निधि

शर्त :(1) उक्त बचत लेखा वन समिति / इको विकास समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के अधोहस्ताक्षरी द्वारा अभिप्रमाणित संयुक्त हस्ताक्षर एवं पदनामों से धारित एवं संचालित किया जाएगा। किये जाएँगे।

(2) अधोहस्ताक्षरी अपने लिखित निर्देश से उक्त बचत लेखा का संचालन किसी भी समय अवरूद्ध कर सकेंगे अथवा बचत लेखा के संयुक्त धारकों में से किसी एक को बचत लेखा के संचालन हेतु प्राधिकृत कर सकेंगे।

(3) उक्त बचत लेखा के संयुक्त धारकों के में से किसी एक अथवा दोनों के स्थानान्तरण, पद–त्याग, पदच्युत होने, कार्यकाल के अवसान अथवा देहावसान की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी, द्वारा निर्दिष्ट एवं हस्ताक्षर अभिप्रमाणित किए जाने पर उनके प्रतिस्थानी / प्रतिस्थानीयों द्वारा उक्त बचत लेखा का संयुक्त धारण एवं संचालन किया जा सकेगा।

वन समिति / इको विकास समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के माचित्र (फोटो) एवं हस्ताक्षर निम्नवत अभिप्रमाणित हैं :—

फोटो अभिप्रमाणित	फोटो अभिप्रमाणित

1. श्री ....
हस्ताक्षर ....
अध्यक्ष ....
अभिप्रमाणित
हस्ताक्षर ....
वन प्रमण्डल पदाधिकारी
.... वन प्रमंडल
....

1. श्री ....
हस्ताक्षर ....
अध्यक्ष ....
अभिप्रमाणित
हस्ताक्षर ....
वन प्रमण्डल पदाधिकारी
.... वन प्रमंडल
....,

प्रपत्र—6

प्रपत्र जिसमें प्रत्येक वन समिति / इको विकास समिति का मासिक लेखा—सारांश वनों के क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी को समर्पित किया जाएगा।

समिति / इको विकास समिति का नाम ....

लेखा—सारांश :— माह .... वर्ष ....

....

ग्राम विकास निधि

आय :—

(1) प्रारम्भिक शेष :— .... (विगत माह का संवरण—शेष)

(2) माह में आय :— (1) वन प्रमंडल पदाधिकारी से प्राप्त : ....

(2) अन्य स्त्रोतों से प्राप्त :—

(क) अन्य अनिकरणों से : ....

: ....

: ....

(ख) अनाधिकृत चराई के विरूद्ध दण्ड की राशि से :—

: ....

(ग) कोई अन्य आय : ....

कुल रू० : ....[(1) + (2)]

(3) कुल आय – (1) + (2) रू० : ....

2. व्यय :

क्र० सं०	कार्य–विवरण	कृत कार्य का परिमाण	व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5

कुल व्यय : रू० ....

3. माह का संवरण शेष :– रू० ....

(कुल आय–कुल व्यय)

वन विकास निधि

1. आय :–

(1) प्रारम्भिक शेष :– .... (विगत माह का संवरण–शेष)

(2) माह में आय :– ....

(3) कुल आया – (1) + (2) रू० ....

2. व्यय :

क्र० सं०	कार्य–विवरण	कृत कार्य का परिमाण	व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5

कुल व्यय : रू० ....

3. माह का संवरण शेष :– रू० ....

(कुल आय–कुल व्यय)

कार्यकारी निधि

आय :–

(1) प्रारम्भिक शेष :– .... (विगत माह का संवरण–शेष)

(2) माह में आय :– ....

(3) कुल आय – (1) + (2) रू० : ....

2. व्यय :

क्र० सं०	कार्य–विवरण	कृत कार्य का परिमाण	व्यय की गई राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5

कुल व्यय : रू० ....

3. माह का संवरण शेष :– रू० ....

(कुल आय–कुल व्यय)

हस्ताक्षर ....

(वनों के क्षेत्र पदाधिकारी)

....

तिथि ....

प्रपत्र – 7

प्रपत्र जिसमें वन समिति/इको विकास समिति का लेखा–सारांश वन प्रमंडल में पंजीबद्ध संधारित किया जाएगा

पृष्ठ संख्या : .... वन समिति/इको विकास समिति का नाम .... वित्तीय वर्ष ....

प्रारम्भिक शेष : निबंधन संख्या .... वर्ष ....

ग्राम विकास निधि : रू० .... वन परिसर .... वन प्रखेत्र ....

वन विकास निधि : रू० ....

कार्यकारी निधि : रू० ....

क्रमांक	माह	विगत माह के अन्त तक आय का कुल योग (वर्ष के प्रारम्भिक शेष के साथ)			माह में आय			मासान्त तक आय का कुल योग (वर्ष के प्रारम्भिक शेष के साथ)		
		ग्राम विकास निधि	वन विकास निधि	कार्यकारी निधि	ग्राम विकास निधि	वन विकास निधि	कार्यकारी निधि	ग्राम विकास निधि	वन विकास निधि	कार्यकारी निधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

क्रमांक	माह	विगत माह के अन्त तक व्यय का कुल योग			माह में व्यय			मासान्त तक व्यय का कुल योग			अभ्युक्ति	वन प्रमंडल पदाधिकारी का हस्ताक्षर
		ग्राम विकास निधि	वन विकास निधि	कार्यकारी निधि	ग्राम विकास निधि	वन विकास निधि	कार्यकारी निधि	ग्राम विकास निधि	वन विकास निधि	कार्यकारी निधि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

प्रपत्र – 8

प्रपत्र जिसमें वन समितियों/इको विकास समितियों का संकलित त्रैमासिक लेखा–प्रतिवेदन वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वन संरक्षक को समर्पित किया जाएगा :–

वन समितियों/इको विकास समितियों का संकलित त्रैमासिक लेखा–प्रतिवेदन

.... वन प्रमंडल ....

त्रैमास .... से .... तक, वर्ष ....

क्रमांक	वन समिति/इको विकास समिति का नाम	त्रैमासान्त तक वर्ष की आय का कुल योग (वर्ष के प्रारम्भिक शेष के साथ)			त्रैमासान्त तक वर्ष कके व्यय का कुल योग			अभ्युक्ति
		ग्राम विकास निधि	वन विकास निधि	कार्यकारी निधि	ग्राम विकास निधि	वन विकास निधि	कार्यकारी निधि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. प्रक्षेत्र :							
	(1) परिसर..							
	(i) .... समिति							
	(ii) .... समिति							
	(2) परिसर..							
	(i) .... समिति							
	2. प्रक्षेत्र :							
	(1) परिसर..							
	(i) .... समिति							
	(ii) .... समिति							
	(1) परिसर..							
	(i) .... समिति							
	(ii) .... समिति							

वन प्रमंडल पदाधिकारी

.... वन प्रमंडल